UPBH010031502018

न्यायालयः प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
उपस्थित– पवन कुमार शर्मा –II (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J. O. ID No. UP 2735
सत्र परीक्षण संख्या 198/2018

उत्तर प्रदेश सरकार --------------------अभियोगी

बनाम

1–कृपाराम मौर्य पुत्र रामअधार मौर्य उर्फ पहलवान

2–रामकुमार मौर्य पुत्र रामअधार मौर्य उर्फ पहलवान, निवासीगण गंजवा, दाखिला इमलियागंज थाना पयागपुर, जनपद बहराइच।

3–राजेश सिंह पुत्र फुलेराज सिंह, निवासी मातादीन सिंह पुरवा, दाखिला इमलियागंज, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच --------------अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–378A/2007

धारा–147, 148, 304/149 भा०दं०सं०

थाना–पयागपुर, जनपद– बहराइच।

अपराध घटित होने की तिथि–	04–08–2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि–	06–08–2008
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि–	13–06–2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि–	17–02–2020
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि–	13–01–2021
साक्ष्य पूर्ण होने की तिथि–	02–07–2025
बयान धारा 351 बी०एन०एस०एस० अंकित होने की तिथि	01–08–2025
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि–	10–03–2026
निर्णय पारित करने की तिथि–	28–03–2026

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.03.28 16:50:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1– थाना–पयागपुर, जिला–बहराइच की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह के विरूद्ध मु०अ०स०–378A/2007, अन्तर्गत धारा–147, 148, 304/149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत विचारण हेतु दाखिल किया गया तथा अभियुक्तगण को साक्ष्योपरांत दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

2– विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त संग्रहित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा दिनांक–13–06–2008 को संज्ञान लिया गया। उपार्पित आदेश दिनाँक–19–07–2018 के द्वारा अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह के प्रकरण को अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण मामले को श्रीमान सत्र न्यायालय, बहराइच को सुपुर्द किया गया।

3– माननीय सत्र न्यायालय, बहराइच के न्यायालय में अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह का मामला सत्र परीक्षण सं० 198/2018 के रूप में पंजीकृत हुआ।

4– माननीय सत्र न्यायाधीश, बहराइच के आदेश दिनांकित–27–04–2019 के अनुपालन में उक्त सत्र परीक्षण की पत्रावली इस न्यायालय को दिनांक–03–05–2019 विचारण हेतु प्राप्त हुई।

5– तदोपरान्त तत्कालीन प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दिनांक–17–02–2020 को अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह के विरूद्ध धारा–147, 148, 304 सपठित धारा–149 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

6– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, निवेदन है कि मैं प्रार्थी अली अहमद पुत्र मौला बख्श, साकिन कुन्नपुर, भिन्गा देहात, थाना भिन्गा, थाना कोतवाली जनपद का निवासी हूं। प्रार्थी का लड़का आजाद अहमद उर्फ गुड्डू का प्रणय प्रसंग ग्राम इमलियागंज (गजवा) के निवासी कृपा राम मौर्य की पुत्री नीतू मौर्य से हो गया था और बाद में मेरे लड़के गुड्डू उपरोक्त ने दिनांक 17–06– 2006 को कोर्ट मैरिज और दिनांक 22–06–2004 को सरियत इस्लाम निकाह भी हुआ था। कृपाराम मौर्य और उनके परिवार वाले प्रार्थी के लड़के आजाद अहमद उर्फ गुड्डू से उपरोक्त करणों से नाराज रहते हुए घोर रंजिश रखने लगे थे। घटना के 20–22 दिन पूर्व आजाद अहमद उर्फ गुड्डू की सास प्रार्थी के घर यह कहकर की गुड़िया को लेने आये है लड़की को मेरे घर से भेज दो यह कहकर घर विदा कर ले गई थी। प्रार्थी से यह भी कहा कि कुछ दिन बाद लड़की को भिजवा देंगे। प्रार्थी का लड़का गुड्डू प्रार्थी विश्वास करके नीतू को विदा कर दिया दिनांक 03–08–2007 को समय करीब 3:00 बजे प्रार्थी की बहू नीतू मौर्य का टेलीफोन गुड्डू के पास आया कि मुझे आकर विदा करा ले जाओ। प्रार्थी का लड़का गुड्डू उर्फ आजाद अहमद विश्वास करके दिनांक 04–08–2007 को शाम 5 बजे। प्रार्थी का लड़का गुड्डू एवं उसका एक दोस्त असलम पुत्र अब्दुल निवासी कुन्नपुर, भिन्गा कोतवाली देहात, जनपद श्रावस्ती। दोनो मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना से ग्राम गजवा

इमलिया के लिए रवाना हुए। घटना दिनांक–04–08–2007 को जब प्रार्थी का लड़का गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व असलम पुत्र अब्दुल हई ग्राम गजवा, इमलिया थाना पयागपुर जनपद बहराइच अपनी पत्नी नीतू मौर्या को विदा कराने पहुंचा तो पूर्व रचित,सुनियोजित साजिस के तहत कृपाराम मौर्या व उसके भाई रामकुमार मौर्य व तीन–चार अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम पता नहीं मालूम प्रार्थी के पुत्र गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व उसके दोस्त असलम पुत्र अब्दुल हई की लाठी चाकू व धारदार हथियार से बेरहमी से पीट–पीटकर हत्या कर दी। प्रार्थी को घटना की सूचना थाना भिन्गा कोतवाली की पुलिस ने सुबह 04 बजे दी थी। तब प्रार्ती ने अपने लड़के अकील अहमद को व भाई रईश अहमद को पिकप गाडी से दो सिपाही के साथ घटना स्थल को भेजा। प्रार्थी के उपरोक्त दोनो लड़के थाना पयागपुर जब पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि प्रार्थी के लड़के गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व दोस्त असलम पुत्र अब्दुल हई की लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थी के लड़को के पहुंचने के पहले ही जिला अस्पताल बहराइच भेज दिया गया है। प्रार्थी घटना की खबर सुनते ही मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया और अपने लड़के गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व असलम की मिट्टी क्रिया के बाद आज थाने पर सूचना तहरीर लिखवाकर देने आया है। प्रार्थना है कि, प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके प्रार्थी के साथ न्याय करने की कृपा करें।

7– वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** के आधार पर, थाना– पयागपुर, जनपद–बहराइच पर चिक एफ०आई०आर० **प्रदर्श क–3** किता की जाकर मु०अ०सं० 378A/2018, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 302 भा०द०सं०, बनाम अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा तीन चार अन्य व्यक्तियों के विरूद्व पंजीकृत हुआ, जिसका **रोजनामचाआम** स०– 24 समय 12.15 दिनाकं–06–08–2007 **प्रदर्श क–4,** में खुलासा तत्काल किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

8– मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सुखराम कैथल के द्वारा ग्रहण की गयी। विवेचक द्वारा मामले की विवेचना करते हुए घटना स्थल/मौके पर पहुँचकर नक्शा–नजरी घटना स्थल कागज संख्या–A–6/1 **प्रदर्श क–5,** नक्शा–नजरी घटना स्थल कागज संख्या–**A–6/2 प्रदर्श क–6** तैयार किया गया। पंचायतनामा मृतक असलम **प्रदर्श क–7** व पंचायतनामा मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद **प्रदर्श क–8** का अंकन केस डायरी में किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3** का अंकन केस डायरी में किया। फोटो नाश मृतक असलम **प्रदर्श क–9,** नमूना मोहर मृतक असलम **प्रदर्श क–10** तैयार किया गया।, मृतक असलम का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु सी०एम०ओ० को प्रेषित पत्र **प्रदर्श क–11,** मृतक असलम का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु आर०आई० को प्रेषित पत्र **प्रदर्श क–12,** मृतक असलम से सम्बन्धित पुलिस फार्म संख्या–13 **प्रदर्श क–13,** मृतक असलम से सम्बन्धित आरक्षी प्रपत्र संख्या–33 **प्रदर्श क–14,** मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद से सम्बन्धित पुलिस फार्म संख्या–13 **प्रदर्श क–15,** फोटो नाश मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद **प्रदर्श क–16,** नमूना मोहर मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद **प्रदर्श क–17,** मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु सी०एम०ओ० को प्रेषित पत्र **प्रदर्श क–**

18, मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद का पोस्टमार्टम कराये जाने हेतु आर०आई० को प्रेषित पत्र **प्रदर्श क–19,** मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद से सम्बन्धित आरक्षी प्रपत्र संख्या–33 **प्रदर्श क–20** तैयार किये गये। **तदोपरान्त विवेचक** सुखराम कैथल का स्थानांतरण हो जाने कारण मामले की अग्रिम विवचना S.O. जगमन प्रसाद द्वारा की गयी तदोपरान्त मामले की विवेचना तृतीय विवेचक शरद चन्द त्रिपाठी द्वारा ग्रहण की गयी।

9– विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष से अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 304 भा०दं०सं० के तहत आरोप पत्र **प्रदर्श क–20A** विवेचक द्वारा न्यायालय में प्रेषित किया गया।

10– अभियोजन की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में कुल 09 गवाहों को परीक्षित कराया गया जो निम्न प्रकार है–

अभियोजन साक्षी	**साक्षी का नाम**	**विश्लेषण**
पी०डब्लू०–1	वादी मुकदमा अली अहमद	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद का पिता
पी०डब्लू०–2	रफीक अहमद	साक्षी
पी०डब्लू०–3	मूने	पंचायतनामा साक्षी
पी०डब्लू०–4	अब्दुल हई	मृतक असलम का पिता
पी०डब्लू०–5	राम रंगीले विश्वकर्मा	साक्षी
पी०डब्लू०–6	डॉ० आर०बी०सिंह	पोस्टमार्टमकर्ता
पी०डब्लू०–7	योगेन्द्र राय	एफ०आई० आर० लेखक
पी०डब्लू०–8	एस०आई० सुखराम कैथल	प्रथम विवेचक
पी०डब्लू०–9	एस०आई० शरद चन्द त्रिपाठी	तृतीय विवेचक

11– अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि–

(i) अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य का प्रथम साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 अली अहमद** जो मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद का पिता है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, " मृतक आजाद अहमद उर्फ गुड्डू मेरा बेटा थाष नीतू मौर्या कृपाराम मौर्या मुलजिम की लड़की है। मेरे बेटे आजाद उर्फ गुड्डू व नीतू मौर्या ने कोर्ट मैरिज व निकाह आपस में किया था। दिनांक 22–6–2004 को निकाह किया था।

नीतू मौर्या निकाह के बाद से मेरे घर में रहती थी। नीतू मौर्या अपने मायके आती जाती थी। 3 तारीख को कृपाराम मौर्या की बीवी और उनका लड़का मेरे घर आए और कहां की गुड़िया का त्यौहार है भेज दो हम बाद में भेज देंगे। मैंने नीतू को विदा कर दिया। 3 तारीख को नीतू मौर्या ने मेरे बेटे को फोन करके बुलाया और कहा मुझे ले चलो मेरा बेटा 4 तारीख को असलम जो शिक्षामित्र था के साथ नीतू मौर्या को विदा कराने कृपाराम मौर्या के घर गया था। रामकुमार मौर्या मुलजिम कृपाराम मौर्या के भाई हैं। रात करीब 1:00 बजे दो पुलिस वाले मेरे घर आए और कहा कि चार पहिया वाहन

लेकर इमलिया चलो, मैं चार पहिया वाहन लेकर अन्य लोगों के साथ इमलिया पहुंचा तो वहां कोई नहीं दिखा। पयागपुर थाना गया तो पता चला की लाश को पोस्टमार्टम हेतु बहराइच भेज दिया गया है। मेरे बेटे आजाद व असलम की हत्या कृपाराम मौर्या उनके भाई रामकुमार मौर्या तथा उनका ड्राइवर राजेश ने शायद मिलकर अन्य लोगों के साथ कर दी। मैंने इस घटना की दरखास्त बहराइच में लिखायी थी, उमेश कुमार पांडे से लिखायी थी। दरखास्त मैंने बोलकर लिखायी थी। मैं कप्तान साहब के यहां आया कप्तान साहब ने सी०ओ० के साथ थाने भेजा और कहा कि इनका मुकदमा दर्ज कराकर आइये। मैं दरखास्त लेकर थाने गया दरखास्त देकर मुकदमा लिखाया जो दरखास्त मैंने थाने पर दी थी। पत्रावली में शामिल है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। विवेचक ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी। विवेचक ने नीतू मौर्या और माधुरी देवी व कृपाराम मौर्या से कोई पूछताछ नहीं की थी। पूछताछ करनी चाहिए थी।

(ii) अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य का द्वितीय साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–2 रफीक अहमद**, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "गुड्डू उर्फ आजाद को मैं जानता हूं। गुड्डू का दोस्त मोहम्मद असलम था जो रिश्ते में मामा फुफू के लड़के थे। घटना के समय गुड्डू बी.डी.सी. थे और असलम शिक्षामित्र थे मैं मुलजिम कृपाराम मौर्या को जानता हूं। मुलजिम रामकुमार मौर्या कृपाराम के भाई हैं मुलजिम राजेश, कृपाराम मौर्या का ड्राइवर था। घटना के समय कृपाराम मौर्या भिनगा में लेखपाल थे। नीतू मुलजिम कृपाराम मौर्या की लड़की है। गुड्डू का निकाह कृपाराम मौर्या की लड़की से हुआ था। 17–08–2007 में निकाह हुआ था। नीतू मौर्या व गुड्डू में काफी प्रेम संबंध था दोनों की साथ में फोटो थी, आजाद का एक छोटा लड़का था उसकी भी गोद लिए हुए फोटो थी। नीतू को कृपाराम मौर्या की बीवी आई थी विदा कर कर ले गई थी। नीतू वापस नहीं आई थी। मुलजिम कृपाराम, रामकुमार तथा राजेश के साथ मैंने गुड्डू तथा मोहम्मद असलम को ले जाते नहीं देखा। मेरे सामने मुलजिम कृपाराम मौर्या, रामकुमार तथा राजेश ने आकर गुड्डू से कहा था कि मेरे साथ चलो कुछ बात करनी है, फिर दोनों मृतक उपरोक्त तीनों मुल्जिमान के साथ चले गए। रात को 2:00 बजे थाने से सूचना आई की गुड्डू उर्फ आजाद व असलम का कत्ल हो गया है। मैं देखने नहीं गया था। जब पोस्टमार्टम हो रहा था वहां गया था।

(iii) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–3 मूने** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, घटना के समय मृतक गुड्डू भिन्गा देहात के प्रधान थे। कृपाराम पटवारी वहां पर तैनात थे। गुड्डू प्रधान ने अपनी शादी पटवारी की लड़की से किया था। विवाह की रजिस्ट्री मेरे सामने नहीं हुई थी। विवाह हुआ था यह मैं जानता हूं। रजिस्ट्री ऑफिस में विवाह हुआ था मैंने उस पर हस्ताक्षर किया था या टॉप लगाया था मुझे याद नहीं। पुलिस को मैंने अपना बयान दिया था।

(iv) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्ल्यू0–4 अब्दुल हई जो मृतक असलम का पिता है** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, मृतक मोहम्मद असलम मेरा बेटा था, जिसकी हत्या दिनांक 4–08–2007 को हुई थी। घटना के समय मेरा बेटा शिक्षामित्र था। गुड्डू

उर्फ आजाद घटना के समय प्रधान थे उसी ग्राम सभा में मेरा बेटा शिक्षामित्र था। इसी वजह से आपस में दोनों लोगों की मित्रता थी। मुल्जिम कृपाराम घटना के समय लेखपाल थे। मुलजिम रामकुमार कृपाराम का भाई है, मुलजिम राजेश घटना के समय कृपाराम मौर्या के ड्राइवर थे। इन तीनों लोगों को मैं जानता पहचानता था। गुड्डू उर्फ आजाद ने कृपाराम मौर्या की लड़की नीतू से निकाह कर लिया था। यह शादी सब लोगों ने मिलकर किया था उसमें कृपाराम भी शामिल थे। कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में हुई थी। कृपाराम मौर्या इस शादी से खुश थे। तभी उन्होंने शादी किया था। मुलजिम कृपाराम, रामकुमार और राजेश मेरे बेटे को बुलाकर ले गए थे। मेरा बेटा आजाद के साथ गया था। मेरे बेटे व गुड्डू उर्फ आजाद की हत्या मुल्जिमान ने अपने घर में कर दी थी। मुल्जिमान मेरे लड़के गुड्डू को मेरे सामने बुलाकर नहीं ले गए थे। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

(v) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–5 राम रंगीले विश्वकर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, घटना दिनांक 4–08–2007 को शाम करीब 8:45 बजे रात की है। शोर सुनकर मैं तथा मेरे भाई गांव के हीरालाल व तमाम लोग लाठी–डंडा लेकर मौके पर आ गए गांव के कृपाराम मौर्या के घर में दो चोर घुसकर एक अटैची जिसमें तमाम कपड़ा वन नगदी व एक मंगलसूत्र लेकर घर में से कर भाग रहे थे। कृपाराम मौर्या, रामकुमार और कृपाराम की औरत माधुरी व हम सभी गांव वाले लाठी–डंडा लेकर शोर करते हुए उन दोनों चोरों को पीछा किये। वे दोनों चोर ईंटा–पत्थर से हम सभी गांव वालों पर मारते रहे और हम सब गांव वाले अपने बचाव में दोनों चोरों को लाठी–डंडा व ईंटा पत्थर से मारते रहे एक अटैची छीन लिए हम गांव वालों के द्वारा अपने बचाव में जो चोटे चोरों को आंयी उन चोटों से दोनों चोर मर गए। हम गांव वालों ने दोनों चोरों को मार डालने की नीयत से कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि अपने बचाव व आत्मरक्षा हेतु लाठी–डंडा व पत्थर से उन दोनों चोरों को चोटे पहुंचाई थी, जिस कारण दोनों चोर मर गए थे। बाद में पता चला की कृपाराम मौर्या लेखपाल थे, जो भिन्गा नौकरी करने जाया करते थे और वे दोनों चोर भी भिन्गा के ही थे। दरोगा जी ने मेरा बयान दिया था।

(vi) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह, पोस्टमार्टमकर्ता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, डॉ० आर. बी. सिंह, फिजीशियन (रिटायर्ड) निवासी– जेल रोड़ मो० रायपुर राजा, थाना– कोतवाली देहात, बहराइच ने सशपथ बयान किया है कि –(a) दिनांक 08.08.2007 में जिला अस्पताल, बहराइच में फिजीशियन के पद पर तैनात था। उस दिन प्रातः 10 बजे गुड्डू उर्फ आजाद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी कुन्ननपुर, थाना–भिन्गा, जिला– श्रावस्ती के मृत शरीर का शव विच्छेदन एवं परीक्षण किया जिसे S.O. पयागपुर, जिला बहराइच ने भेजा था तथा उसे क्रमांक– 635 ओम प्रकाश सोनकर व क्रमांक– 126 विजय प्रताप, थाना– पयागपुर, बहराइच लेकर आये थे तथा उन्होनें शव की शिनाख्त की।

बाह्य परीक्षण–

सामान्य कद काठी का पुरुष, जिसकी आंख व मुंह बंद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न गर्दन,

ऊपरी व निचली भुजाओं में मौजूद थी।

मृत्यु पूर्व चोटें–

चोट संख्या–1–फटा हुआ घाव 8.00cm X 2.00cm हड्डी तक गहरा बायें सिर पर कान के 5.00cm ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या–2–फटा हुआ घाव 4.00cm X 1.00cm हड्डी तक गहरा दाहिनी तरफ सिर पर कान से 8.00cm ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या–3–फटा हुआ घाव 3.00cmX1.5cm हड्डी तक गहरा दाहिने तरफ सिर पर पीछे की ओर दाहिने कान से 14. cm पीछे मौजूद था।

चोट संख्या–4–फटा हुआ घाव 3.00cmX1.00cm हड्डी तक गहरा सिर पर दाहिनी तरफ माथे पर आँख की भौ से 6 सेमी० ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या–5–फटा हुआ घाव 1.5 cm X 0.5cm माँसपेशियों तक गहरा बायें तरफ चेहरे पर नाक से 6.00 cm दूरी पर मौजूद था।

चोट संख्या–6–फटा हुआ घाव 1.5 cm X0.5cm आँख की गहराईयों तक दाहिने आँक के अंदरूनी कोने पर मौजूद था। दाहिनी आँख फटी हुई थी।

चोट संख्या–7–फटा हुआ घाव 2.00cm X 0.5 cm आँख की गहराई तक बायीं तरफ आँख पर मौजूद था। बायीं आँख भी फटी हुई थी।

चोट संख्या–8–फटा हुआ घाव 0.5cm X 0.2cm हड्डी तक गहरा बायें हाथ पर बीच की ऊँगली पर मौजूद था। बायें हाथ की बीच की ऊंगली का अगला हिस्सा टूटा हुआ था।

चोट संख्या–9–अनेक खरोंच के निशान नीलगू निशान के साथ मे बायीं अग्र बाहू सामने व बाहिरी तरफ 5.00cm X 8.00cm के क्षेत्र में मौजूद था।

चोट संख्या–10–अनगिनत खरोंच के निशान नीलगू निशान के साथ में पूरी पीठ पर पीछे की ओर 40cm X 35cm के क्षेत्र में मौजूद था।

चोट संख्या–11–अनेक खरोंच नीलगू निशान के साथ में 30 cm X 16cm सीने पर सामने व बगल में मौजूद थे।

चोट संख्या–12–कई नीलगू निशान 60 cm X 12 cm के क्षेत्र में बायें टाँग व जाँघ पर मौजूद थे।

चोट संख्या–13–खरोंच का निशान 0.5cm X 0.5cm बायें टाँग पर घुटने के नीचे मौजूद था।

चोट संख्या–14–खरोंच का निशान 1.5 cm X 0.5cm दाहिने टाँग पर पेटिला हड्डी से 10.00 cm नीचे मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–

अक्सीपिटल हड्डी टूटी हुई थी। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन थी। मस्तिष्क के अंदर दोनों तरफ व अंदर खून के थक्के मौजूद थे तथा मस्तिष्क भी फटा हुआ था। फेफड़े सामान्य थे। ह्रदय के दोनों चैम्बर खाली थे। अमाशय में 100ml तरफ पदार्थ व पेस्टी फूड मौजूद था। छोटी आंत में गैसें थी। बड़ी आंत में गैसें व मल थे लीवर में सूजन थी।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु करीब आधा दिन पूर्व मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व सिर पर आयी चोटों के कारण कोमा में जाने से हुई हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या–412–B–337/07 शामिल पत्रावली मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

(b) उसी दिन 10 बजकर 30 मिनट पर प्रातः मृतक असलम पुत्र अब्दुल हई निवासी कुन्नतपुर थाना– भिन्गा, जनपद श्रावस्ती के मृत शरीर का शव विच्छेदन एवं परीक्षण किया जिसे S.O.

पयागपुर ने भेजा था। तथा उसे क्रमांक– 655 ओम प्रकाश सोनकर व क्रमांक–126 विजय प्रताप थाना पयागपुर लेकर आये थे। तथा इन्होनें शव की शिनाख्त की।

बाह्य परीक्षण–

सामान्य कद काठी का पुरुष जिसकी आँख व मुंह बंद थे। मृत्यु पश्चात अकड़न ऊपरी व निचली भुजाओं में मौजूद थी।

मृत्यु पूर्व चोटें–

चोट संख्या-**1-** फटा हुआ घाव 4.00cm X 1.5.00cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ सिर पर बायीं आँख से 8cm ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**2-** फटा हुआ घाव 3.00cm X 0.50cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ माथे पर बायीं आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**3-** फटा हुआ घाव 1.5cmX0.50cm दाहिने तरफ माथे पर दाहिनी आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**4-** फटा हुआ घाव 4 cm X 1.5cm हड्डी तक गहरा टुड्डी पर मौजूद था।

चोट संख्या-**5-** नीलगू निशान 4cm X 3cm दाहिनी तरफ सिर पर दाहिने कान से 2cm सामने की तरफ मौजूद था।

चोट संख्या-**6-** फटा हुआ घाव 5cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा दाहिने कान पर मौजूद था।

चोट संख्या-**7-** नीलगू निशान 2cmX0.5cm दाहिनी तरफ चेहरे पर दाहिनी आँख से 1.00cm नीचे था।

चोट संख्या-**8-** फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm हड्डी तक गहरा बायें कोहनी पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**9-** अनेक नीलगू निशान 20cm X 8cm के क्षेत्र में बायीं भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**10-** नीलगू निशान 25cm X 9cm के क्षेत्र में दाहिनी भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**11-**फटा हुआ घाव 2cm X 1cm हड्डी तक गहरा दाहिनी कोहने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**12-** अनगिनत नीलगू निशान 40cm X 30cm के क्षेत्र में सीने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**13-** फटा हुआ घाव 2cm X0.5cm हड्डी तक गहरा बायें टाँग पर घुटने से 10cm नीचे मौजूद था।

चोट संख्या-**14-** फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा बायें तरफ चेहरे पर बायीं आँख से 3cm नीचे मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–

मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन थी। मस्तिष्क में भी सूजन थी। खून का थक्का बायें तरफ मस्तिष्क के ऊपर व मस्तिष्क के अंदर मौजूद था। फेफड़ा, ह्दय सामान्य था। अमाशय में करीब 100 ml गाढ़ा तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैसें व पेस्टी फूड था। बड़ी आंत में गैसें व मल था। पित्ताशय खाली था। लीवर में सूजन थी।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु करीब आधा दिन पूर्व में मृत्यु पूर्व सिर पर आई चोटों के कारण

कोमा में जाने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या– 413–B–338/2007 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। जिसे दौरान पोस्टमार्टम मैनें तैयार किया था जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

(vii) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–7** कां० योगेन्द्र राय (एफ०आई० आर० लेखक) ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, दिनांक 06–08–2207 को मैं थाना पयागपुर में बतौर कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर तैनात था। उसी तिथि मैंने वादी मुकदमा अली अहमद द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर एफ०आई०आर० नंबर 90/2007 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 378A/2007 धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दंड संहिता बनाम कृपाराम आदि पंजीकृत किया था। उसकी कायमी मुकदमा बहावले रपट नंबर 24 समय 12:15 बजे दिनांक 6.8.2007 को तैयार किया था। चिक एफ०आई०आर० तथा कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति जो पत्रावली में संलग्न हैं। चिक एफ०आई०आर०पर प्रदर्श क–3 व कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

(viii) अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–8** उपनिरीक्षक सुखराम कैथल **(प्रथम विवेचक)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, दिनांक–06.08.2007 को थाना पयागपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। उसी तिथि में वादी मुकदमा की दी गयी तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–378A/2007, धारा– 147, 148, 149, 302 भा०दं०सं० थाना– पयागपुर में पंजीकृत हुआ था। जिसके वादी मुकदमा अली अहमद थे। मुकदमा कृपाराम मौर्या के खिलाफ पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। मैनें नकल चिक तथा नकल रपट का अवलोकन कर उसका इंद्राज CD में किया तथा एफ०आई०आर० लेखक योगेन्द्र राय वादी मुकदमा अली अहमद के बयान का अंकन CD में किया था वादी मुकदमा की निशानदेही का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया जो संलग्न पत्रावली है। जिसे देखकर साक्षी ने उस पर बने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की है। नक्शा नजरी कागज संख्या A–6/1 पर प्रदर्श क–5 तथा कागज संख्या A–6/2 पर प्रदर्श क–6 डाला गया तथा उसी तिथि में ... ... .साक्षी पुत्तीलाल, सिद्धराम व गवाह हीरालाल, रामरंगीले के बयान का अंकन CD के पर्चा 01 में किया तथा इसी पर्चे में मुकदमा 302 से 304 में Alter करने का अंकन CD में किया। दिनांक– 08.08.2007 CD का पर्चा 02 किता किया जिसमें बयान गवाह घटना श्री राम केवल के बयान का अंकन CD में किया। इसके बाद मेरा स्थानांतरण हो गया था और विवेचना S.O. जगमन प्रसाद को सुपुर्द की गयी थी। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा मृतक असलम व मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद को देखकर साक्षी ने बताया कि मेरे द्वारा तैयार किया गया है। उस पर बने लेख व हस्ताक्षर की अपनी पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–7 व पंचायतनामा असलम प्रदर्श क–8 पंचायतनामा मृतक गुड्डू उर्फ आजाद डाला गया।

पत्रावली में संलग्न फोटोनाश नमूना मोहर, चिट्ठी CMO, चिट्ठी R.I., पुलिसफार्म संख्या–13, प्रपत्र संख्या– 33, कागज संख्या A–8/11, फोटोलाश गुड्डू उर्फ आजाद अहमद नमूना मोहर

कागज संख्या A 8/8, CMO (चिट्ठी– A–8/9), कागज संख्या A–8/10, प्रपत्र संख्या–33 मृतक गुड्डू संलग्न पत्रावली है जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि मेरे द्वारा तैयार की गयी है। जिस पर बने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि कर क्रमशः **प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 , प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15, प्रदर्श क–16, प्रदर्श क–17, प्रदर्श क–18, प्रदर्श क–19, प्रदर्श क–20** डाला गया।

(ix) अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक पुलिस साक्षी **पी०डब्ल्यू०–9 शरद चन्द त्रिपाठी (तृतीय विवेचक)** साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि, वादी मुकदमा अली अहमद द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 378A/07 धारा 147, 148, 149, 302 भा०दं०सं०, थाना पयागपुर बनाम कृपाराम मौर्य आदि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना पूर्व विवेचक सुखराम कैथल (थानाध्यक्ष) के द्वारा शुरु की गई थी। उसके बाद विवेचना S.O. जगमन प्रसाद के द्वारा की गई। उसके बाद विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। मैंनें पूर्व विवेचको द्वारा किये गये पर्चों का अवलोकन कर विवेचना में मामूल हुआ था, और दिनांक 29.01.2008 को सी.ड़ी. का पर्चा 16 किता किया। जिसमें अभियुक्तगणों के यहां दबिश देने का अंकन सी.ड़ी. में किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त N.B.W. का तामीला भी कराया गया था। 06.02.2008 को पर्चा 17 किता किया, जिसमें दबिश का अंकन है। दिनांक 30.03.2008 को सी.डी. का पर्चा 18 किता किया जिसमें अभियुक्त रामकुमार मौर्य के गिरफ्तारी का विवरण अंकित है और बयान भी लिया गया था। दिनांक 02.04.2008 को पर्चा 19 किता किया जिसमें मुल्जिम राजेश सिंह की गिरफ्तारी व उनके बयान का अंकन किया गया। दिनांक 04.04.2008 को सीडी में पर्चा 20 किता किया जिसमें कृपाराम के विरुद्ध 82 प्राप्त कर तामीला का विवरण सीडी में अंकित किया। दिनांक 05.04.2008 को पर्चा 21 किता किया जिसमें कृपाराम की गिरफ्तारी व उनके बयान का अंकन किया गया। दिनांक 11.04.2008 को पर्चा 22 किता किया जिसमें रिमाण्ड की याचना का अंकन सीड़ी में किया गया। दिनांक 12.04.2008 को पर्चा 23 किता किया जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा शिवकुमार, मुख्तियार प्रसाद, जगतराम, राजकुमार, बाबूराम, मूसे, सी.पी. विजय प्रताप सिंह, सी.पी. ओमप्रकाश के बयान का अंकन सीड़ी में किया गया। तमामी विवेचना बयान गवाहान अवलोकन नक्शा नजरी पी.एम. रिपोर्ट अवलोकन पंचायतनामा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कृपाराम, रामकुमार, राजेश सिंह के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 304 भा०दं०सं० का अपराध बाखूबी पाते हुए आरोप पत्र A40 दिनांक 12.04.2008 को न्यायालय को प्रषित किया। आरोप–पत्र संलग्न पत्रावली है जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि मेरे द्वारा तैयार किया गया और अपने लेख व हस्ताक्षर का साक्षी ने पुष्टि की जिसपर **प्रदर्श क–20** डाला गया।

12– अभियोजन की ओर से मामले को सिद्ध करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गएः–

क्र. सं.	प्रदर्श सं.	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श कर्ता/तस्दीककर्ता का नाम
1.	**प्रदर्श क–1**	तहरीर	पी०डब्ल्यू०–1 अली अहमद

2.	**प्रदर्श क–2**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक असलम	पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह
3.	**प्रदर्श क–3**	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक असलम	पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह
4.	**प्रदर्श क–3A**	चिक एफ०आई०आर०	पी०डब्ल्यू०–7 योगेन्द्र राय
5.	**प्रदर्श क–4**	कायमी जी०डी०	पी०डब्ल्यू०–7 योगेन्द्र राय
6.	**प्रदर्श क–5**	नक्शा नजरी घटना स्थल कागज संख्या A–6/1	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
7.	**प्रदर्श क–6**	नक्शा नजरी घटना स्थल कागज संख्या A–6/2	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
8.	**प्रदर्श क–7**	पंचायतनामा मृतक असलम	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
9.	**प्रदर्श क–8**	पंचायतनामा मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
10.	**प्रदर्श क–9**	फोटो नाश मृतक असलम	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
11.	**प्रदर्श क–10**	मृतक असलम से सम्बन्धित नमूना मोहर	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
12.	**प्रदर्श क–11**	मृतक असलम के पी०एम० हेतु सी०एम०ओ० को प्रेषित पत्र	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
13.	**प्रदर्श क–12**	मृतक असलम के पी०एम० हेतु आर०आई० को प्रेषित पत्र	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
14.	**प्रदर्श क–13**	मृतक असलम से सम्बन्धित पुलिस फार्म संख्या–13	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
15.	**प्रदर्श क–14**	मृतक असलम से सम्बन्धित आरक्षी प्रपत्र संख्या–33	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
16.	**प्रदर्श क–15**	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद से सम्बन्धित पुलिस फार्म संख्या–13	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
17.	**प्रदर्श क–16**	फोटो नाश मृतक गुड्डू उर्फ आजाद	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
18.	**प्रदर्श क–17**	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद से सम्बन्धित नमूना मोहर	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)

19.	**प्रदर्श क–18**	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद के पी०एम० हेतु सी०एम०ओ० को प्रेषित पत्र	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
20.	**प्रदर्श क–19**	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद के पी०एम० हेतु आर०आई० को प्रेषित पत्र	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
21.	**प्रदर्श क–20**	मृतक गुड्डू उर्फ आजाद से सम्बन्धित आरक्षी प्रपत्र संख्या–33	पी०डब्ल्यू०–8 सुखराम कैथल (विवेचक)
22.	**प्रदर्श क–20A**	आरोप पत्र	पी०डब्ल्यू०–9 तृतीय विवेचक शरद चन्द त्रिपाठी

13– अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनाँक–01–08–2025 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–**351 बी०एन०एस०एस० (**धारा–313 दं०प्र०स०) अंकित किये गये, जिसमे कथन किया गया हैं कि –

अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए सभी साक्षियों द्वारा गलत साक्ष्य दिया जाना कहते हुए मुकदमें को रंजिशन चलाया जाना तथा सफाई में साक्ष्य दिये जाने का कथन करते हुए विशिष्ट कथन के रूप में अभियुक्त कृपाराम मौर्य ने कथन किया है कि, दिनांक–08–04–2007 को समय करीब 09 बजे रात में मैं व मेरे बच्चे खाना खाकर आराम कर रहे थे। बिजली न होने के कारण मेरे भाई राजकुमार बाहर लेटे थे, घर का दरवाजा बंद नहीं था। मृतक असलम व गुड्डू मेरे घर में घुस आए और घर के अंदर से एक अटैची व एक हजार रुपए नगद व मंगलसूत्र चुरा कर ले जाने लगे। मेरी पत्नी माधुरी देवी ने देखा और चिल्लाई , जिस पर मैं व मेरा भाई रामकुमार दौड़ा तब तक उपरोक्त दोनों चोर घर से भाग रहे थे। हम दोनों तेज आवाज में गुहार लगाई और चोरों का पीछा किया, उस पर गाँव के तमाम लोग दौड़े और पकड़ कर सामान छीनने लगे। उन दोनों बदमाशों असलम व गुड्डू ने मुझे, मेरी पत्नी माधुरी देवी, मेरे भाई रामकुमार व राकेश सिंह को मारा–पीटा। गाँव वालों द्वारा बदमाशों को पकड़ने व सामान छीनने में चोटे पहुंचाई गई। दोनों बदमाश गाँव वालों से अपने को छुड़ाकर आगे खड़ी अपनी मोटरसाईकिल पर सवार होकर भाग गए। गाँव वालों ने ईंटा पत्थर फेंककर दोनों बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु दोनों बदमाश वहाँ से भाग गए, पकड़े नहीं जा सके तथा दूसरे दिन जानकारी हुई कि मेरे गाँव से लगभग दो किलोमीटर दूर टकरा गए और मृत्यु हो गई। अभियुक्त राजेश सिंह द्वारा कथन किया गया है कि, मैं घटना के समय कृपाराम मौर्या का ड्राइवर था इसलिए मुझे गलत फंसाया गया है। कृपाराम मौर्या द्वारा कियेगये कथन को सुना है। वही मेरा भी कथन है। अभियुक्त रामकुमार मौर्य द्वारा विशिष्ट कथन के रूप में कहा है कि, मैं अभियुक्त कृपाराम मौर्या का सगा भाई हूँ, उनके द्वारा किये गये कथन को मैंने सुना है वही मेरा भी कथन है।

14– अभियुक्तगण को अपने बचाव में सफाई साक्ष्य के रूप में चार साक्षियों डी०डब्लू०–1 नीतू

मौर्या, डी०डब्लू०–2 हीरालाल, डी०डब्लू०–3 जगतराम व डी०डब्लू०–4 नरायन विश्वकर्मा को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन का अभियुक्तगण पर आरोपः

15– अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन का यह आरोप है कि, दिनाँक–04–08–2007 को समय 5 बजे शाम बहद स्थान ग्राम गंजवा दाखिली इमलियागंज अन्तर्गत थाना पयागपुर में आप अभियुक्तगण ने मिलकर एक राय होकर मजमा खिलाफ कानून बनाकर, घातक आयुध से लैस होकर बल्वा करते हुए मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व उसके दोस्त असलम की लाठी व चाकूओं से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर हत्या कर दी।

16– मैने, अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्मता से एवं गम्भीरता से परिशीलन किया गया और पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया ।

<u>अभियोजन का तर्क:</u>

17– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क दिया है कि–

(i) अभियुक्तगण द्वारा रंजिश के तहत सुनियोजित तरीके के मृतकों को बुलाकर लाठी–डण्डा. चाकू व ईंट से मृतकों पर प्रहार किया जिससे आयी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्तगण का अपराध हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है।

(ii) अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन के तथ्य के साक्षियों के द्वारा मामले को साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष साबित किया है।

(iii) सम्पूर्ण अभियोजन कथानक मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे अपराध को साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोष सिद्ध कर दण्डित किया जाये।

<u>बचाव पक्ष का तर्क:</u>

18– अभियुक्तगण विद्वान अधिवक्ता की ओर से अभियोजन के तर्कों के खण्डन में बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि–

(i) अभियुक्तगण निर्दोष है, उन्हें रंजिशन मामले में फंसाया गया है। अपराध को कारित करने का कोई मोटिव पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है।

(ii) यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है।

(iii) यह भी तर्क दिया है कि,अभियुक्तगण द्वारा मृतक से कोई मारपीट नहीं की गयी है, गांव के लोगो द्वारा चोरो को भगाने के लिए अपने बचाव में ईंटा पत्थर फेंके तथा वे जल्दबाजी में मोटरसाइकिल चलाते हुए पुलिया से टकरा गये जिससे उन्हें चोटे आयीं।

(iv) यह भी तर्क दिया है कि, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 ने शक के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गवाही दी है, शक कितना भी गहरा सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

(v) यह भी तर्क दिया है कि, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 ने शादी दिनांक–17–06–2006 होना कहा है जबकि पी०डब्लू०–2 ने दिनांक–17–08–2007 को वहीं पी०डब्लू०–3 व पी०डब्लू०–4 ने कोर्ट मैरिज, रजिस्टर्ड शादी होना कहा है जो आपस में गम्भीर विरोधाभाष है।

(vi) यह भी तर्क दिया है कि, अभियोजन का मामला तीन थ्योरियों पर आधारित है। अभियोजन के साक्षियों द्वारा अलग थ्योरी पर साक्ष्य दिया है, जो तीनो बिल्कुल एक–दूसरे के विरोधाभाषी है।

(vii) यह भी तर्क दिया है कि, चिकित्सक साक्षी ने अपने साक्ष्य में चोटो को ईंट पत्थर व किसी वस्तु से टकराने से भी आने का साक्ष्य दिया है।

(viii) यह भी तर्क दिया है कि, मामले में विवेचना उपरान्त मात्र तीन लोगो के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया तथा 2–3 अज्ञात लोगो के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया है। जबकि विवेचना प्रचलित नहीं है। विवेचना सी०डी० के पर्चा संख्या–23 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है। समस्त विवेचना थाने पर बैठकर की गयी है। इसलिए तथाकथित धारा–147, 148 व 149 का प्रथमदृष्टया का आपराध साबित ही नहीं हो रहा है।

(ix) यह भी तर्क दिया है कि, तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2, पी०डब्लू०–3 व पी०डब्लू०–4 गैर जनपद श्रावस्ती जो करीब 45 किलो मीटर दूर है। घटना स्थल के साक्षियों जिनमें पी०डब्लू०–5 द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

(x) अभियोजन द्वारा खून आलूदा मिट्टी व सादी, एफ०एस०एल० रिपोर्ट, कोई चाकू, लाठी–डण्डा या ईट आलाकत्ल न्यायालय में प्रस्तुत कर सबित नहीं किया है।

(x) यह भी तर्क दिया है कि, पुलिस प्रपत्र संख्या–ए8/6 प्रदर्श क–14 व पुलिस प्रपत्र संख्या–ए8/12, प्रदर्श क–20 में ग्रामिणों द्वारा पीटकर मृत्यु कारित करना अंकित है जिसे अभियोजन द्वारा विवेचक साक्षी पी०डब्लू०–8 सुखराम कैथल द्वारा साबित किया गया है। जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–5 के साक्ष्य से भी होती है।

(xi) यह भी तर्क दिया है कि, अभियोजन के साक्षियों द्वारा विवेचना के दौरान दिये गये बयानो का समर्थन न करते हुए नई–नई थ्योंरी बनाकर इम्प्रूवमेन्ट कर साक्ष्य दिया है।

(xii) यह भी तर्क दिया है कि, मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। मामले की कड़िया आपस में जुडी हुई नहीं है।

(xiii) यह भी तर्क है कि, अभियोजन कथानक किसी प्रकार युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित नहीं है। समस्त अभियोजन कथानक संदिग्ध है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

उपरोक्त तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं पर विश्वास व्यक्त किया है–

1– Dhan Raj @ Dhand vs. State of Haryana and Badal vs. State of Haryana, 2014(3) JIC 10 (SC)

2– Dabapriya Pal vs. State of West Bengal, 2017(3) JIC 896 (SC)

3– Thammaraya and another vs. State of Karnataka, 2025 2SC (Cri) 296.

4– Prem Pal Singh & Anr. vs. State, 2017(1) JIC Reports 104 (All)

5– Bhagwan Din and others vs. State, 1996 ACr. J. 271

6– Ram Pratap vs. State of Haryana, 2023 (1) JIC 1 (SC)

19– अभियोजन का मामला हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है, अभियुक्तगण पर मृतकों को लाठी व चाकूओं से गम्भीर रूप से घायल कर आपराधिक मानव वध कारित करने आरोप का है जिसके सम्बन्ध में विधिक स्थिति इस प्रकार है कि–

भारतीय दंड संहिता की धारा–147– जो कोई भी दंगा करने का दोषी पाया जाएगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दो वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा–148– जो कोई भी दंगा करने का दोषी पाया जाता है, या घातक हथियार से लैस होने का, या किसी ऐसी वस्तु से लैस होने का दोषी पाया जाता है जिसका इस्तेमाल अपराध के हथियार के रूप में करने पर मृत्यु होने की संभावना हो, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा–149– यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई अपराध किया जाता है, या ऐसा अपराध किया जाता है जिसके बारे में उस सभा के सदस्यों को यह ज्ञात हो कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा अपराध किए जाने की संभावना है, तो अपराध किए जाने के समय उस सभा का प्रत्येक सदस्य उस अपराध का दोषी होगा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 299 आपराधिक मानव वध को परिभाषित करती हैं कि– "जो भी कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना सम्भाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह सम्भाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित का दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण–1 वह व्यक्ति, जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार रोग अंगशैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और तद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण–2 जहां कि शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहां जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

स्पष्टीकरण–3 मां के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानव वध नहीं है। किन्तु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना

आपराधिक मानव वध की कोटि में आ सकेगा, यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न न हुआ हो।

304. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध– के लिये दण्ड–जो कोई ऐसा आपराधिक मानव–वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ कि उससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, किन्तु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु कारित करना सम्भाव्य है, कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाये, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

20– प्रस्तुत मामले में अवधारणीय प्रश्न यह है कि–

(i) क्या यह मामला हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है?

(ii) क्या अभियुक्तगण को अपराध कारित करने का कोई हेतुक (मोटिव) था?

(iii) क्या अभियुक्तगण ने दिनाँक–04–08–2007 को समय 5 बजे शाम बहद स्थान ग्राम गंजवा दाखिली इमलियागंज अन्तर्गत थाना पयागपुर में आप अभियुक्तगण ने मिलकर एक राय होकर मजमा खिलाफ कानून बनाकर, घातक आयुध से लैस होकर बल्बा करते हुए मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व उसके दोस्त असलम की लाठी व चाकूओं से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर हत्या कर दी?

(iv) क्या अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप अभियोजन साक्ष्य से युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित हैं?

21– अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप के सन्दर्भ में इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुँचना है कि क्या अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होते हैं अथवा नहीं?

<u>साक्ष्यों का मूल्यांकन, आधार एवं निष्कर्ष</u>

22– प्रथमतः विचारणीय बिन्दु यह है. कि, क्या यह मामला हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है?

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वादी मुकदमा की लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** पर दृष्टिपात करते है, जिसमें लिखाया है कि– वादी मुकदमा का लड़का आजाद अहमद उर्फ गुड्डू का प्रणय प्रसंग ग्राम इमलिया (गजवा) के निवासी कृपा राम मौर्य की पुत्री नीतू मौर्य से हो गया था और बाद में मेरे लड़के गुड्डू उपरोक्त ने दिनांक 17–06– 2006 को कोर्ट मैरिज और

दिनांक 22–06–2004 को सरियत इस्लाम निकाह भी हुआ था। कृपाराम मौर्य और उनके परिवार वाले प्रार्थी के लड़के आजाद अहमद उर्फ गुड्डू से उपरोक्त करणों से नाराज रहते हुए घोर रंजिश रखने लगे थे। घटना के 20–22 दिन पूर्व आजाद अहमद उर्फ गुड्डू की सास प्रार्थी के घर यह कहकर की गुड़िया को लेने आये है लड़की को मेरे घर से भेज दो यह कहकर घर विदा कर ले गई थी। प्रार्थी से यह भी कहा कि कुछ दिन बाद लड़की को भिजवा देंगे। प्रार्थी का लड़का गुड्डू प्रार्थी विश्वास करके नीतू को विदा कर दिया दिनांक 3–8–2007 को समय करीब 3:00 बजे प्रार्थी की बहू नीतू मौर्य का टेलीफोन गुड्डू के पास आया कि मुझे आकर विदा करा ले जाओ। प्रार्थी का लड़का गुड्डू उर्फ आजाद अहमद विश्वास करके दिनांक 04–08–2007 को शाम 5 बजे। प्रार्थी का लड़का गुड्डू एवं उसका एक दोस्त असलम पुत्र अब्दुल निवासी कुन्नपुर, भिन्गा कोतवाली देहात, जनपद श्रावस्ती। दोनो मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना से ग्राम गजवा इमलिया के लिए रवाना हुए। घटना दिनांक–04–08–2007 को जब प्रार्थी का लड़का गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व असलम पुत्र अब्दुल हई ग्राम गजवा, इमलिया थाना पयागपुर जनपद बहराइच अपनी पत्नी नीतू मौर्या को विदा कराने पहुंचा तो पूर्व रचित,सुनियोजित साजिस के तहत कृपाराम मौर्या व उसके भाई रामकुमार मौर्य व तीन–चार अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम पता नहीं मालूम प्रार्थी के पुत्र गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व उसके दोस्त असलम पुत्र अब्दुल हई की लाठी चाकू व धारदार हथियार से बेरहमी से पीट–पीटकर हत्या कर दी। प्रार्थी को घटना की सूचना थाना भिन्गा कोतवाली की पुलिस ने सुबह 04 बजे दी थी। तब प्रार्ती ने अपने लड़के अकील अहमद को व भाई रईश अहमद को पिकप गाडी से दो सिपाही के साथ घटना स्थल को भेजा। प्रार्थी के उपरोक्त दोनो लड़के थाना पयागपुर जब पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि प्रार्थी के लड़के गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व दोस्त असलम पुत्र अब्दुल हई की लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थी के लड़को के पहुंचने के पहले ही जिला अस्पताल बहराइच भेज दिया गया है। प्रार्थी घटना की खबर सुनते ही मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया और अपने लड़के गुड्डू उर्फ आजाद अहमद व असलम की मिट्टी क्रिया के बाद आज थाने पर सूचना तहरीर लिखवाकर देने आया है।

उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या–378A/2007, अन्तर्गत धारा–147, 148, 304, 149 भा०दं०सं० बनाम कृपाराम मौर्य आदि के विरूद्ध दर्ज हुआ। जिसका खुलासा जी०डी० 24 समय 12:15 बजे दिनांकित–06–08–2007 प्रदर्श क–4 पर किया। विवेचना उपरान्त संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा मामले में अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह की संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–147, 148, 149, 304 भा०दं०सं० आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

23– इस स्तर पर अब मृतकों की पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट **प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3** का अवलोकन किया जाना उचितकर है।

(i) मृतक आजाद अहमद उर्फ गुड्डू व असलम को मृत्यु पूर्व आयी चोटो के सम्बन्ध में जब हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या–412–B–337/2007 प्रदर्श क–2 व मृतक असलम की पोस्टमार्टम

रिपोर्ट संख्या–413–B–338/2007 जिसे चिकित्सक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह** द्वारा **प्रदर्श क–3** के रूप में साबित किया गया का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि, मृतक **आजाद अहमद उर्फ गुड्डू** का पोस्टमार्टम दिनांक–08–08–2007 को समय 10:00pm से 10:30pm तक किया गया। मृतक के शव पर मृत्यु पश्चात की अकड़न Rigor–Mortis गर्दन, ऊपरी व निचली भुजाओं पर मौजूद थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटे पायी गयी–

Injury No.1– Laccerated wound 8cm x 2cm bone deep on left side of head 5cm of a left ear.

Injury No.2- Laccerated wound 4cm x 1 cm bone deep on right side skull, 8cm above right ear.

Injury No. 3- Laccerated wound 3cm x 1.50cm bone deep on occipital area, 14cm below the right ear.

Injury No.4- Laccerated wound 3 cm x 1cm bone deep on right side forehead 6cm above right eyebrow.

Injury No.5- Laccerated wound 1.5 x 0.5cm muscle deep face left 6cm from nose.

Injury No.6- Laccerated wound 1.5cm x 0.5cm eyeball deep middle cornea of right side, Right eyeball ruptured.

Injury No.7- Laccerated wound 2cm x 0.5cm eyeball deep, Left eyeball ruptured.

Injury No.8- Laccerated wound 0.5cm x 0.5cm deep on left hand elbow and left middle finger...........

Injury No.9- Multiple abrasion & contusion involved left forearm hand and arm 5cm x 8cm ....

Injury No.10- Multiple abrasion & contusion chin and ...... area of 40 cm x 30 cm.

Injury No.11- Multiple abrasion & contusion whole chin 30cm x 16cm from both side of chest below mouth.

Injury No.12- Multiple contusion in area of 16cm x 12cm left leg and thigh............

Injury No.13-Abrasion 0.5cm x 0.5cm into left leg below knee.

Injury No.14– Abrasion 1.5cm x 1.5cm right leg, 10cm below rest patella

चिकित्सक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह** द्वारा मृतक **आजाद अहमद उर्फ गुड्डू** का पोस्टमार्टम दिनांक–08–08–2007 को समय 10:00am से 10:30am तक किया गया। मृतक के शव पर मृत्यु पश्चात की अकड़न Rigor–Mortis गर्दन, ऊपरी व निचली भुजाओं पर मौजूद थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटे पायी गयी–

चोट संख्या-**1-** फटा हुआ घाव 4.00cm X 1.5.00cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ सिर पर बायीं आँख से 8cm ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**2-** फटा हुआ घाव 3.00cm X 0.50cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ माथे पर बायीं आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**3-** फटा हुआ घाव 1.5cmX0.50cm दाहिने तरफ माथे पर दाहिनी आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**4-** फटा हुआ घाव 4 cm X 1.5cm हड्डी तक गहरा टुड्डी पर मौजूद था।

चोट संख्या-**5-** नीलगू निशान 4cm X 3cm दाहिनी तरफ सिर पर दाहिने कान से

2cm सामने की तरफ मौजूद था।

चोट संख्या-**6-** फटा हुआ घाव 5cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा दाहिने कान पर मौजूद था।

चोट संख्या-**7-** नीलगू निशान 2cmX0.5cm दाहिनी तरफ चेहरे पर दाहिनी आँख से 1.00cm नीचे था।

चोट संख्या-**8-** फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm हड्डी तक गहरा बायें कोहनी पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**9-** अनेक नीलगू निशान 20cm X 8cm के क्षेत्र में बायीं भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**10-** नीलगू निशान 25cm X 9cm के क्षेत्र में दाहिनी भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**11-** फटा हुआ घाव 2cm X 1cm हड्डी तक गहरा दाहिनी कोहने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**12-** अनगिनत नीलगू निशान 40cm X 30cm के क्षेत्र में सीने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**13-** फटा हुआ घाव 2cm X0.5cm हड्डी तक गहरा बायें टाँग पर घुटने से 10cm नीचे मौजूद था।

चोट संख्या-**14-** फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा बायें तरफ चेहरे पर बायीं आँख से 3cm नीचे मौजूद था।

मृतक की मृत्यु, मृत्युपूर्व सिर पर आई चोटों के कारण कोमा में जाने से हुई थी।

आन्तरिक परीक्षण–

मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन थी। मस्तिष्क में भी सूजन थी। खून का थक्का बायें तरफ मस्तिष्क के ऊपर व मस्तिष्क के अंदर मौजूद था। फेफड़ा, ह्दय सामान्य था। अमाशय में करीब 100 ml गाढ़ा तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैसें व पेस्टी फूड था। बड़ी आंत में गैसें व मल था। पित्ताशय खाली था। लीवर में सूजन थी।

(ii) अब हम मृतक असलम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3 का अवलोकन करते है उसके शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटे पायीं गयी–

Injury No.1- Laccerated wound 4cm x 1.5cm bone deep left skull, 8cm above eyebrow left.

Injury No.2- Laccerated wound 30cm x 0.5cm bone deep left forehead above left eyebrow.

Injury No.3- Laccerated wound 1.5cm x 0.5cm right forehead above right eyebrow.

Injury No.4- Laccerated wound 4cm x 1.5cm bone deep on chin.

Injury No.5- Contusion 4cm x 3cm on right forehead 02 cm right ear.

Injury No.6- Laccerated wound 5cm x 0.5cm muscle deep.

Injury No.7- Contusion 2cm x 0.5cm muscle deep.

Injury No.8- Laccerated wound 2cm x 0.5cm bone deep on back of left elbow.

Injury No.9- Contusion multiple 20cm x 8cm on back of left arm forearm.

Injury No.10- Contusion 25cm x 9cm on back of right arm forearm.

Injury No.11- Laccerated wound 2cm x 1cm bone deep on back of right elbow.

Injury No.12- Multiple abrasion 60cm x 30 cm back of chest.

Injury No.13- Laccerated wound 2cm x 0.5cm bone deep left leg 16cm below knee.

Injury No.14– Laccerated wound 2cm x 0.5cm muscle deep on left side of face 3cm ....

चिकित्सक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह** द्वारा मृतक **असलम** के शव का पोस्टमार्टम दिनांक–08–08–2007 को समय 10:30am के पश्चात किया। शव पर मृत्यु पश्चात की अकड़न Rigor–Mortis गर्दन, ऊपरी व निचली भुजाओं पर मौजूद थी। शव पर मृत्यु पूर्व निम्नलिखित चोटे पायी गयी–

मृत्यु पूर्व चोटें–

चोट संख्या-**1**- फटा हुआ घाव 4.00cm X 1.5.00cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ सिर पर बायीं आँख से 8cm ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**2**- फटा हुआ घाव 3.00cm X 0.50cm हड्डी तक गहरा बायें तरफ माथे पर बायीं आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**3**- फटा हुआ घाव 1.5cmX0.50cm दाहिने तरफ माथे पर दाहिनी आँख के ऊपर मौजूद था।

चोट संख्या-**4**- फटा हुआ घाव 4 cm X 1.5cm हड्डी तक गहरा टुड्डी पर मौजूद था।

चोट संख्या-**5**- नीलगू निशान 4cm X 3cm दाहिनी तरफ सिर पर दाहिने कान से 2cm सामने की तरफ मौजूद था।

चोट संख्या-**6**- फटा हुआ घाव 5cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा दाहिने कान पर मौजूद था।

चोट संख्या-**7**- नीलगू निशान 2cmX0.5cm दाहिनी तरफ चेहरे पर दाहिनी आँख से 1.00cm नीचे था।

चोट संख्या-**8**- फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm हड्डी तक गहरा बायें कोहनी पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**9**- अनेक नीलगू निशान 20cm X 8cm के क्षेत्र में बायीं भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**10**- नीलगू निशान 25cm X 9cm के क्षेत्र में दाहिनी भुजा पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**11**- फटा हुआ घाव 2cm X 1cm हड्डी तक गहरा दाहिनी कोहने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**12**- अनगिनत नीलगू निशान 40cm X 30cm के क्षेत्र में सीने पर पीछे की ओर मौजूद था।

चोट संख्या-**13**- फटा हुआ घाव 2cm X0.5cm हड्डी तक गहरा बायें टाँग पर घुटने से 10cm नीचे मौजूद था।

चोट संख्या-**14**- फटा हुआ घाव 2cm X 0.5cm मांसपेशी तक गहरा बायें तरफ चेहरे पर बायीं आँख से 3cm नीचे मौजूद था।

मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सिर पर आई चोटों के कारण कोमा में जाने से हुई।

24– जब इसी बिन्दु पर पोस्टमार्टमकर्ता चिकित्सक साक्षी पी०डब्लू०–6 डॉ० आर०बी० सिंह के साक्ष्य का अवलोकन करते है तो उसके द्वारा यह साबित किया गया कि, दिनांक 08.08.2007 को मैं जिला अस्पताल, बहराइच में फिजीशियन के पद पर तैनात था। उस दिन प्रातः 10 बजे गुड्डू उर्फ आजाद अहमद पुत्र अली अहमद निवासी कुन्नरपुर, थाना–भिन्गा, जिला–श्रावस्ती के मृत शरीर का शव विच्छेदन एवं परीक्षण किया जिसे S.O. पयागपुर, जिला बहराइच ने

भेजा था तथा उसे क्रमांक– 635 ओम प्रकाश सोनकर व क्रमांक– 126 विजय प्रताप, थाना– पयागपुर, बहराइच लेकर आये थे तथा उन्होनें शव की शिनाख्त की।

बाह्य परीक्षण–

सामान्य कद काठी का पुरुष, जिसकी आंख व मुंह बंद थी। मृत्यु पश्चात अकड़न गर्दन, ऊपरी व निचली भुजाओं में मौजूद थी।

आन्तरिक परीक्षण–

अक्सीपिटल हड्डी टूटी हुई थी। मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन थी। मस्तिष्क के अंदर दोनों तरफ व अंदर खून के थक्के मौजूद थे तथा मस्तिष्क भी फटा हुआ था। फेफड़े सामान्य थे। ह्रदय के दोनों चैम्बर खाली थे। अमाशय में 100ml तरफ पदार्थ व पेस्टी फूड मौजूद था। छोटी आंत में गैसें थी। बड़ी आंत में गैसें व मल थे लीवर में सूजन थी। मेरी राय में मृतक की मृत्यु करीब आधा दिन पूर्व मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व सिर पर आयी चोटों के कारण कोमा में जाने से हुई हो।

25– उसी दिन 10 बजकर 30 मिनट पर प्रातः **मृतक असलम पुत्र अब्दुल हई** निवासी कुन्ननपुर थाना– भिन्गा, जनपद श्रावस्ती के मृत शरीर का शव विच्छेदन एवं परीक्षण किया जिसे S.O. पयागपुर ने भेजा था। तथा उसे क्रमांक– 655 ओम प्रकाश सोनकर व क्रमांक–126 विजय प्रताप थाना पयागपुर लेकर आये थे। तथा इन्होनें शव की शिनाख्त की।

बाह्य परीक्षण–

सामान्य कद काठी का पुरुष जिसकी आँख व मुंह बंद थे। मृत्यु पश्चात अकड़न ऊपरी व निचली भुजाओं में मौजूद थी।

आन्तरिक परीक्षण–

मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन थी। मस्तिष्क में भी सूजन थी। खून का थक्का बायें तरफ मस्तिष्क के ऊपर व मस्तिष्क के अंदर मौजूद था। फेफड़ा, ह्दय सामान्य था। अमाशय में करीब 100 ml गाढ़ा तरल पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैसें व पेस्टी फूड था। बड़ी आंत में गैसें व मल था। पित्ताशय खाली था। लीवर में सूजन थी।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु करीब आधा दिन पूर्व में मृत्यु पूर्व सिर पर आई चोटों के कारण कोमा में जाने से हुई।

उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया कि, मेरे साथ दोनों मृतकों के शव विच्छेदन के समय अन्य कोई सहयोगी डाक्टर नहीं था। मैं मूल रूप से फीजिशियन हूँ। मैं सर्जन हीं हूँ। मैनें पोस्टमार्टम के संबंध में कोई अलग से ट्रेनिंग नहीं ली है। दिनांक– 05.08.2007 को समय लगभग 10 बजे प्रातः मृतक गुड्डू का तथा 10 बजकर 30 मिनट पर असलम का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम के समय अंदर मृतकों का कोई परिजन नहीं था बल्कि बाहर रहे होंगे। मैनें दोनों मृतकों के लाश की पहचान उनके परिजनों से नहीं करायी थी। इन दोनों मृतकों की मृत्यु दिनांक–4/5.08.2007 की मध्यरात्रि के आस–पास हुई होगी। <u>इन दोनों मृतकों के शरीर पर ईंट, अद्धे व पत्थर से मारकर चोट पहुँचाई जा सकती है। इन दोनों मृतकों के</u>

<u>भागते समय ईंट, अद्धे आदि से चोट पहुँचाया जाना संभव है। दोनों मृतकों के सिर पर आई चोटें तेज रफ्तार से भागते हुए किसी सख्त वस्तु पर गिरने से भी आ सकती है।</u> इन दोनों मृतकों के सिर की चोटों के अलावा शरीर पर आई अन्य चोटों से मृत्यु होना, संभव नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैने दोनों मृतकों की चोटें बढ़ा चढ़ाकर लिखी है।

इसी बिन्दु पर पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक सुखराम कैथल जो मामले का प्रथम विवेचक है के द्वारा पुलिस प्रपत्र संख्या–33 प्रदर्श क–14 व प्रदर्श क–20 का अवलोकन करते हैं तो जिसमें मृत्यु का कारण चोरी करते समय ग्रामिणों द्वारा मार–पीटकर मृत्यु कारित करना अंकित है।

उपरोक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 तथा पुलिस प्रपत्र संख्या–33 प्रदर्श क–14 व प्रदर्श क–20 व साक्षी पी०डब्लू०–6 चिकित्सक साक्षी डॉ० आर०बी० सिंह व विवेचक साक्षी पी०डब्लू०–8 उपनिरीक्षक सुखराम कैथल के साक्ष्य के विश्लेषण से मामला हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का है।

26– क्या अभियुक्त को अपराध कारित करने का कोई हेतुक (मोटिव) था?

(i) अब न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि, क्या अपराध कारित करने का कोई हेतुक (मोटिव) अभियुक्तगण का था? उक्त के सम्बन्ध में जब हम वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर **प्रदर्श क–1** का अवलोकन करते है तो पाते है कि, जिसमें लिखाया है कि वादी मुकदमा मृतक गुड्डू उर्फ आजाद का पिता है, उनके पुत्र आजाद अहमद उर्फ गुड्डू का प्रेम प्रसंग अभियुक्त कृपा राम मौर्य की पुत्री नीतू मौर्य से हो गया और बाद में उसके पुत्र गुड्डू ने नीतू से दिनांक 17–06–2006 को कोर्ट मैरिज और दिनांक 22–06–2004 को सरियत इस्लाम निकाहकिया जिससे कृपाराम मौर्य और उनके परिवार वाले उसके पुत्र आजाद अहमद उर्फ गुड्डू से नाराज रहते हुए घोर रंजिश रखने लगे थे। घटना के 20–22 दिन पूर्व आजाद अहमद उर्फ गुड्डू की सास, नीतू को गुड़िया के त्योहारपर विदा करा ले गई थी। दिनांक 03–08–2007 को समय करीब 3:00 बजे नीतू मौर्य का टेलीफोन गुड्डू के पास आया उसे विदा करा के ले जाओ। उसका पुत्र विश्वास करके दिनांक 04–08–2007 को शाम 5 बजे। गुड्डू एवं उसका एक दोस्त असलम दोनो मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना से ग्राम गजवा इमलिया के लिए रवाना हुए। जहां दिनांक–04–08–2007 को वहां पहुंच गये, वहाँ पर पूर्व रचित, सुनियोजित साजिश के तहत कृपाराम मौर्या व उसके भाई रामकुमार मौर्य व तीन–चार अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम पता नहीं मालूम, ने लाठी चाकू व धारदार हथियार से बेरहमी से पीट–पीटकर गुड्डू उर्फ अजाद अहमद व असलम की हत्या कर दी।

(ii) अभियोजन द्वारा मृत्यु कारित करने का मोटिव मृतक आजाद अहमद उर्फ गुड्डू का अभियुक्त कृपाराम मौर्य की पुत्र नीतू से प्रेम विवाह कर लेने के कारण रंजिश होना कहा है और उसी रंजिश के कारण मृतकों की हत्या कारित करने का तर्क दिया है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आयी साक्ष्य को देखते है तो साक्षी पी०डब्लू०–1 अली अहमद ने मुख्य परीक्षा में अभिकथन किया है कि, "मेरे बेटे आजाद उर्फ गुड्डू व नीतू मौर्या ने कोर्ट मैरिज व निकाह आपस में किया था। दिनांक 22–6–2004 को निकाह किया था।" वहीं अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०–2

रफीक अहमद जो वादी मुकदमा का सगा भाई है ने अपने मुख्य परीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि, " गुड्डू का निकाह कृपाराम मौर्या की लड़की से हुआ था। 17–08–2007 में निकाह हुआ था।" उपरोक्त दोनो साक्षियों के साक्ष्य में शादी की तारिख को लेकर गम्भीर विरोधाभाष है। पी०डब्लू०–3 मूने ने शादी रजिस्टर्ड होना कहा है परन्तु पत्रावली पर शादी के सम्बन्ध में कोई पंजीकृत अभिलेख अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। शादी के सम्बन्ध में एक नोटरी छायाप्रति जो दिनांकित–17–06–2006 की दाखिल की है तथा एक ऊर्दू में लिखित निकाहनामा कहते हुए उसकी छायाप्रति दाखिल किया है जिसका हिन्दी अनुवाद दाखिल नहीं किया है, न ही उसे साबित कराया है। जिस पर दिनांक–22–04–2004 को काटकर 22–06–2004 की गयी है। एक छायप्रति नकल मुकदमा अन्तर्गत धारा–125 दं०प्र०सं० नीतू बनाम आजाद जो दिनांक–17–06–2006 की छायाप्रति दाखिल की है। जिसे भी अभियोजन ने साबित नहीं किया है जिसे साबित करने का भार अभियोजन पर था।

यह उल्लेखनीय है कि तथाकथित विवाह अनुबन्ध दिनांक–17–06–2006 को लिखा जाना कहा है तथा उसी दिन धारा–125 दं०प्र०सं० का वाद भी न्यायालय में योजित करने के सम्बन्ध में याचिका की छायाप्रति दाखिल की है। यह बड़ा ही अस्वाभाविक है कि उसी दिन शादी होना तथा उसी दिन भरण–पोषण का मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) पी०डब्लू०–1 ने तहरीर प्रदर्श क–1 में अभियुक्त कृपाराम की पत्नी, नीतू को घटना के 20–22 दिन पहले लेने आयी लिखाया जबकि पी०डब्लू०–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्त की पत्नी व बेटा को घटना से एक दिन पहले दिनांक–03.08.2007 को बिदा करा के ले जाना कहा है। दोनों का नाम तक यह साक्षी नहीं जानता है। पी०डब्लू०–2 ने मुख्य परीक्षा में पृष्ठ अ67/1 पर शादी 17.08.2007 को होना तथा घटना से एक माह पूर्व से नीतू अपने मायके में रहना कहता है। पी०डब्लू०–4 ने मुख्य परीक्षा में (पृष्ठ ए–76/2) पर कहा है कि गुड्डी उर्फ आजाद ने कृपाराम की लड़की नीतू से निकाह कर लिया था यह शादी सब लोगों ने मिलकर किया था इसमें कृपाराम मौर्या भी शामिल थे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में हुई थी। कृपाराम मौर्या इस शादी से खुश थे तभी उन्होंने शादी किया था।

(iv) यह भी उल्लेखनीय है कि, मोटिव जो कि एक मानसिक तत्व है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मस्तिष्क में झांककर नहीं देख सकता कि उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, परन्तु तथ्यों से यह साबित किया जा सकता है कि वास्तव में कोई मोटिव अभियुक्त का था।

(V) यह उल्लेखनीय है कि, हेतुक एक मानसिक तत्व है, प्रत्येक आपराधिक मामले में घटना का वास्तविक हेतुक अभियोजन द्वारा साबित किया जाना कठिन कार्य है, जहां घटना की सीधी एवं विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध हो उस स्थिति में हेतुक का महत्व नहीं बचता है। जैसा कि न्याय निर्णय **राजू माँझी बनाम बिहार राज्य AIR 2018 SC 3592** में उच्चतम न्यायालय द्वारा धारित किया है। प्रस्तुत मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है जिसमें मोटिव अपना अहम रोल अदा करता है। उक्त बिन्दु पर की गयी उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्था में दिये गये विधिक

सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अभियोजन मामले में अभियुक्तगण का अपराध कारित करने का मोटिव साबित करने में विफल रहा है।

27– अब इस न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न है कि, क्या अभियुक्तगण के द्वारा कारित कृत्य से ही चोटे मृतकों को आयीं और उन्हीं के परिणाम स्वरूप ही मृतकों की मृत्यु हुई है?

इस बिन्दू पर जब हम पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करते है तो अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1 अली अहमद मामले का वादी मुकदमा तथा मृतक गुड्डू उर्फ आजाद अहमद का पिता है को परीक्षित कराया। उसके द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन किया है तथा जिरह में उक्त साक्षी ने अभिकथन किया है कि, राम कुमार मौर्या को मैं 1992 से जानता हूँ। ये भिन्गा में लेखपाल थे। राम कुमार मौर्या किस सन से किस सन तक भिन्गा में लेखपाल रहे, नहीं बता सकता। आज से 12 साल से ऊपर हो गया उनका भिन्गा से ट्रांसफर हो गया। इनका ट्रांस्फर इकौना तहसील हो गया। राम कुमार गंजवा इमलिया के रहने वाले हैं। राजेश सिंह मुल्जिम को मैं नहीं जानता हूँ। जब यह पेशी पर अदालत आने लगे है तब इनको जान पाया। अदालत पर आने से पहले इन्हें मैं नहीं जानता पहचानता था। इनको मैनें अदालत पर पहली बार घटना के ग्यारह साल बाद देखा। इस घटना में राजेश सिंह मुल्जिम शामिल थे या नहीं, यह मैं पक्का नहीं बता सकता। मुझे नही मालूम है कि इनसे मेरी या मेरे लड़के आजाद व मृतक असलम से कोई दुश्मनी थी या नहीं। लेकिन मुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझसे कोई दुश्मनी राजेश मुल्जिम से नहीं थी न मैं कभी राजेश मुल्जिम के घर गया और वह न मेरे घर कभी आया। मैं नहीं बता पाऊँगा कि मेरे लड़के आजाद व उनके साथी असलम की हत्या किस समय किस स्थान पर किसके द्वारा की गयी। कृपाराम मौर्या की मेरी जान पहचान लगभग 15–20 साल पहले से है। कृपाराम मौर्या गजवा इमलिया के रहने वाले हैं। इनका घर मेरे घर से 40–45 किलोमीटर दूर है। इनके घर मैं एक बार आज से 22 साल पहले गया था। मेरे साथ मेरा लड़का आजाद भी गया था। मेरा लड़का आजाद कृपाराम मौर्या की लड़की नीतू को चाहता था इसी सिलसिले में मैं उनके घर गया था। उस गाँव मेरी कोई रिश्तेदारी–नातेदारी नही है। इसके बाद मेरा कोई मौका कृपाराम मौर्या के घर ग्राम गजवा इमलिया जाने का नहीं हुआ।

साक्षी शेष जिरह हेतु दिनांक–27–01–2021 को उपस्थित आया। उसके द्वारा कथन किया गया कि, पिछली तारीख पर मैनें अपने मुख्य बयान में जो बयान दिया था कि " 03 तारीख को कृपाराम मौर्या की बीबी और उनका एक लड़का मेरे घर आये .... बाद में भेज देंगे, मैनें नीतू को विदा कर दिया। 03 तारीख को नीतू मौर्या ने मेरे बेटे............... को .... मुझे ले चलो।" यह 03 तारीख महीना अगस्त सन 2007 की मैनें बताई। नीतू मौर्या की व उनके लड़के मेरे घर करीब 8–9 बजे सुबह आये थे। ये लोग उसी दिन करीब 11 बजे मेरे घर से 03.08.2007 को नीतू को लेकर चले गये। मुझे यह नही पता कि नीतू का फोन उस दिन कितने बजे आया। मेरे लड़के के फोन पर ही नीतू का फोन आया था। मुझे यह नहीं पता की किस फोन नम्बर पर फोन आया था। उस समय मैं घर पर नहीं था। जब मैं शाम को घर पर आया तो मुझे घर पता चला कि नीतू का फोन आया था कि मेरा लड़का आजाद उर्फ गुड्डू कहीं चला गया। मुझे यह जानकारी हुई कि मेरा लड़का

आजाद मोटर साइकिल से चला गया। मैं यह नहीं जानता हूँ कि किसकी मोटर साईकिल से गुड्डू गये थे। जिस मोटर साइकिल से गये थे वह थाने में जमा है। मुझे अब तक उस मोटरसाइकिल के बारे में पता नहीं चला। मैनें थाने की उस मोटरसाइकिल को नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई देखने की जरुरत नहीं थी। पहली बार मुझे कोतवाली भिन्गा की पुलिस द्वारा मेरे घर पर आकर यह बताया गया कि चार पहिया गाड़ी का इन्तजाम करके गंजवा इमलिया भेज दीजिये। मैने यह समझ लिया कि मेरे लड़के के साथ कोई घटना हो गयी है इसलिए चार पहिया गाड़ी का इन्तजाम करने के लिए कहा जा रहा है। मैं गाड़ी का इन्तजान करके गंजवा इमलिया गया लेकिन मुझे वहां लड़का नहीं मिला। तब मैं थाना पयागपुर गया। थाने में गये तो थाने से पता चला कि लाश पोस्टमार्टम के लिए बहराइच भेज दी गयी है।

बचाव पक्ष का तर्क है कि, रिपोर्ट/तहरीर विधिक सलाह के आधार पर Ante date/ante time है। जबकि अभियोजन ने इस तर्क का खण्डन किया है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अव्लोकन करते है तो पाते है कि पी०डब्लू–1 ने अपनी जिरह पृष्ठ अ–61/2 पर कहा है कि "मैने थाने पर उस समय कोई तहरीर नही दिया। फिर मैं 06 अगस्त 2007 को पुलिस कप्तान, बहराइच के पास गया। कप्तान साहब को बताया और उनको निर्वाचन कार्ड दिखाया तब उन्होनें CO साहब को बुलाया और उनसे कहा कि उनसे तहरीर लेकर इनके साथ थाना पयागपुर जाईये और इनका मुकदमा दर्ज कराईये। तब CO साहब ने उमेश कुमार पाण्डेय को कचेहरी से बुलवाया। श्री उमेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट मेरे साथ ही थे। मैनें उमेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट से तहरीर लिखवाई। कप्तान साहब के आफिस जिसमें व बैठे थे उसके बाहर उमेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट ने तहरीर लिखी। प्रदर्श क–3 चिक एफ०आई०आर० में तहरीर दिनांक–06.08.2007 को 12.15 पर डाक से प्राप्त होना अकित है। घटना 04.08 बजे को होना तथा दिनांक–05.08.2007 को कोई तहरीर नहीं दी। पुलिस अधिवक्ता से सलाह पर मामला दर्ज करता है जबकि मृतकों के विरूद्ध पूर्व से ही मामला मु०अ०सं०–378/2007 दर्ज था। तहरीर विधिक सलाह पर दर्ज कराया जाना साबित है। साथ ही थाने पर नहीं दी गयी। घटना 04.08.2007 के पश्चात दिनांक–05.06.2007 तथा अगले दिन एक सोचने समझने के पश्चात लिखनी गयी है।

मैं CO साहब की गाड़ी से CO साहब के साथ थाना पयागपुर गया। CO साहब ने थाने जाकर मेरी एफ०आई०आर० दर्ज कराई और मुझे लेकर बहराइच मुझे छोड़ा। थाने मे मुझे एफ०आई०आर० की कापी नहीं मिली थी। CO साहब कापी लेकर कप्तान साहब के पास गये। फिर मुझे गाड़ी पर एफ०आई०आर० की चिक दिया। दारोगाजी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। दारोगाजी ने घर पर जाकर मेरा बयान लिया था कितने दिन बाद लिया था मुझे याद नहीं है। मैने उनको फोटो दिखाया तो उन्होने कहा कि इस अपने पास रखिये इसे अदालत पर दिखाना। दारोगाजी ने मेरा बयान केवल एक बार लिया था दोबारा नहीं लिया था।

28– साक्षी ने आगे साक्ष्य दिया है कि, ऐसा नहीं है कि घटना वाले दिन मुल्जिमान रामकुमार, कृपाराम व राजेश सिंह मेरे घर आये हो और मेरे लड़के आजाद उर्फ गुड्डू व उसके साथी असलम को

बुलाकर अपने घर लाये हो बल्कि सही यह है कि घटना वाले दिन नीतू मौर्या की माँ व एक लड़का नीतू को विदा कराकर लाये थे तथा नीतू मौर्या के फोन पर मेरा लड़का आजाद उर्फ गुड्डू व असलम आये थे। मैनें दिनाँक– 15.10.2007 को विवेचनाधिकारी को कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि उपरोक्त तीनों मुल्जिमान मेरे घर आये और लड़के आजाद उर्फ गुड्डू को बुलाकर अपने साथ ले गये। मैने कप्तान साहब को ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी थी जिसमें यह लिखा हो कि ये तीनों मुल्जिमान मेरे घर से मेरे लड़के आजाद उर्फ गुड्डू व असलम बातचीत करने के लिए बुला लाये हो।

साक्षी ने आगे यह भी कथन किया है कि, मेरे लड़के आजाद उर्फ गुड्डू के चार बच्चे हैं। जो चारों लड़के हैं। सबसे बड़े लड़के का नाम असद है जिसकी उम्र लगभग 16 साल है। सबसे छोटा लड़का इस समय 12–13 साल का है। आजाद की बीबी जिन्दा है जिसका नाम मार्या है। वह मेरे घर पर रहती है। आजाद की शादी मार्या के साथ कब हुई थी मैं नही बता सकता। यह भी नहीं बता पाऊँगा कि घटना के कितने साल पहले आजाद की शादी मार्या के साथ हुई थी। आजाद ने नीतू के साथ कोर्ट मैरिज की थी। यह कोर्ट मैरिज मेरे सामने नहीं हुई थी। कहाँ शादी की थी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिना मेरी मर्जी व जानकारी के मेरे लड़के ने नीतू के साथ शादी की कार्यवाही की। मैं किसी कार्यवाही में मौजूद नही था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीतू मौर्या की शादी मेरे लड़के आजाद के साथ हो क्योंकि आजाद मेरा लड़का बीबी– बच्चों वाला आदमी था।

साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, नीतू मौर्या मेरे लड़के आजाद उर्फ गुड्डू की पत्नी थी। नीतू मौर्या जब मेरे घर आई तब मैनें उसके निकाह व कोर्ट मैरिज के बारे में पता चला। यह बात मेरे लड़के आजाद उर्फ गुड्डू के बताने पर पता चला। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, आजाद व असलम चोरी करके भागते समय मार दिये गये।

साक्षी के समग्र साक्ष्य का जब हम विश्लेषण करते है तो पाते है कि, यह साक्षी संदेह के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया तथा यह घटना स्थल से करीब 45 किलो मीटर दूर रहता है उसके द्वारा सुनी–सुनायी बातो पर साक्ष्य दिया है। मुख्य परीक्षा में एवं जिरह में विरोधाभाषी बयान दे रहा है। साक्षी द्वारा तहरीर कानूनी सलाह लेने के पश्चात विद्वान अधिवक्ता उमेश कुमार पाण्डेय, एडवोकेट से 04 तारीख की घटना की रिपोर्ट 06 तारीख में लिखी है। साक्षी ने तहरीर ने कृपाराम की पत्नी के द्वारा नीतू को बिदा कराकर लेकर जाना कहता है। वहीं साक्षी जिरह में अभियुक्त कृपाराम की पत्नी व पुत्र नीतू को बिदा कराकर ले जाना कह रहा है। तहरीर में घटना से 20–22 दिन पहले ले जाना कहा है। जबकि मुख्य परीक्षा में दिनांक–03.08.2007 को घटना से एक दिन पहले ले जाना कहा है। साथ ही घटना से एक दिन पहले नीतू का फोन आने के सम्बन्ध में कोई सी०डी०आर०, कॉल डिटेल नीतू और मृतक गुड्डू का मोबाइल नम्बर/फोन नम्बर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है न ही इस साक्षी के द्वारा किसी फोन नम्बर का इस साक्ष्य में उल्लेख किया है जिससे इस कथन पर विश्वासकिया जा .सके की नीतू के द्वारा दिनांक–30–08–2007 को मृतक गुड्डू को फोन किया था।

29– इस बिन्दु पर साक्षी **पी०डब्लू०–2 रफीक अहमद** जो कि वादी मुकदमा का सगा भाई है को

परीक्षित कराया गया जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि, गुड्डू उर्फ आजाद के पिता का नाम अली अहमद है वह मेरे सगे भाई है। मेरा व मृतक आजाद का घर आस–पास ही है। बीच में केवल दो घर है। दोनों के घर के बीच मे केवल मेरी बहन शाकूननिशां का घर है। आजाद के घर में उसकी बीबी मार्या बानों व उसके बच्चे रहते हैं। आजाद जब तक जिन्दा रहे तब तक उनकी बीबी व उनके बच्चे साथ रहे। गुड्डू उर्फ आजाद व उनकी पत्नी मार्या बानो के संबंध अच्छे थे। गुड्डू के चार बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे इस समय लगभग 16 साल है। मुल्जिम राजेश को मैं लगभग 10–12 सालों से जानता हूँ। राजेश कहाँ का रहने वाला है मैं नहीं बता सकता उसका घर द्वार मैनें नहीं देखा है। वह ड्राइवरी करता है। रामकुमार मौर्या मेरे क्षेत्र के लेखपाल थे। सन 2005–2006 से थे। करीब 5–6 साल लेखपाल रहे। अभियुक्त रामकुमार के गाँव का नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। मैं इनके गाँव कभी नहीं गया हूँ। इनके पूरे परिवार को नहीं जानता केवल रामकुमार व उसके भाई को जानता हूँ। जिस दिन की घटना है उस दिन नीतू मौर्या अपने मायके में थी पिता के घर थी अपने पिता के घर घटना के **एक माह पहले** से थी। घटना वाले दिन नीतू मौर्या का अपने पिता के **घर से कोई फोन नहीं आया था**।

साक्षी ने आगे (पृष्ठ संख्या–अ–67/3 पर) साक्ष्य दिया है कि, घटना वाले दिन गुड्डू उर्फ आजाद व असलम अपने मन से नीतू के पिता के घर गये थे। उनके घर से कोई लेने नहीं आया था। जिस समय घटना वाले दिन गुड्डू उर्फ आजाद व असलम गये थे। उस दिन अपने घर पर था और मैने उन्हें अपने घर से निकलते हुए देखा था मैनें उनसे पूछा था कहाँ जा रहे हो तब उन्होनें बताया कि नीतू को लेने जा रहे थे।

साक्षी ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि,उसी दिन रात के दो बजे पुलिस के माध्यम से जानकारी हुई कि गुड्डू व असलम की हत्या हो गयी है। भिन्गा थाने की पुलिस ने गुड्डू के घर पर आकर सूचना दिया। मुझसे पुलिस वालों से कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मैनें अली अहमद को बताया। अली अहमद पता पाने के बाद कही नहीं गये। अली अहमद और मैं घटना के दूसरे दिन सुबह 09 बजे दिन में बहराइच आये और असलम व आजाद की लाश लेकर भिन्गा चले गये। मैं व अली अहमद कभी पुलिस कप्तान के पास या थाने नहीं गये। लाश लेकर क्रियाक्रम में व्यस्त हो गये।

साक्षी ने आगे यह भी साक्ष्य दिया है कि,जब थाने पर मुकदमा नहीं लिखा गया तब मैं अली अहमद व असलम के पिता कप्तान साहब के यहाँ बहराइच आया था। कप्तान के यहाँ दिन में लगभग 02 बजे पहुँचा था। कप्तान साहब ने हम तीनो को सरकारी जीप से पयागपुर भेजा तब मुकदमा लिखा गया। तेजे खाँ चेयरमैन कप्तान साहब के यहाँ बैठे थे। वह चेयरमैन थे। हमारी उनसे कोई बात नही हुई। मै नहीं बता सकता कि मुकदमे की तहरीर किसने लिखी थी। एफ०आई०आर० पुलिस द्वारा दर्ज करायी गयी थी। गुड्डू उर्फ आजाद व असलम की हत्या होते हुए मैने नहीं देखा। गुड्डू उर्फ आजाद व नीतू मौर्या की फोटो मैनें आज भी देखी है पहले भी देखी थी। यह फोटो किसने खिंचवाई मैं नहीं बता सकता। गुड्डू व नीतू की शादी में उसकी पहली पत्नी की रजामन्दी थी या नहीं मैं नहीं बता सकता। गुड्डू ने निकाह वाली बात मुझे नहीं बताई थी बल्कि मैनें सुना था।

साक्षी ने पृष्ट संख्या–अ–67/4 पर कहा है कि, मैं यह नहीं बता सकता कि गुड्डू व असलम इमलिया गाँव में चोरी करने के लिए गये थे जहाँ पर गाँव वालों ने उन्हें चोरी के सामान सहित दौडाया था और मारा–पीटा था। मुझे यह जानकारी नहीं है कि इन दोनों पर चोरी का कोई मुकदमा चला था या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, नीतू मौर्या, गुड्डू उर्फ आजाद की पत्नी नहीं थी तथा इससे भी इन्कार किया कि नीतू मौर्या व गुड्डू के प्रेम संबंध नहीं थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, मैं अली अहमद का भाई होने के नाते गलत बयान दे रहा हूँ।

इस साक्षी के समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह साक्षी, वादी मुकदमा का सगा भाई है। जो वादी मुकदमा से अलग रहता है तथा घटना स्थल से करीब 45 किलो मीटर दूर जनपद श्रावस्ती का रहने वाला है उसके द्वारा सुनी–सुनायी बातो व शक के आधार पर साक्ष्य दिया है। साक्षी ने गुड्डू उर्फ आजाद व नीतू की शादी दिनांक–17–08–2007 में होना कहा है तथा शादी होना उसने सुना है। साक्षी ने अभियुक्तगण कृपाराम, रामकुमार व राजेश को मृतको को साथ ले जाते नहीं देखे जाना कहा है। वहीं आगे अपने सामने मुल्जिमानो के द्वारा गुड्डू उर्फ आजाद को साथ ले जाने की बात कही है तथा आगे यह भी कथन किया है कि, मृतको को कोई लेने नहीं आया था, जो एक दूसरे के विरोधाभाषी है। साक्षी ने घटना से एक माह पूर्व से नीतू मौर्या अपने मायके में रह रही थी तथा घटना वाले दिन नीतू मौर्या का अपने पिता के घर से कोई फोन नहीं आया था, साबित किया है। साक्षी ने शादी वाली बात उसने सुनी थी वह निकाह में शामिल नहीं हुआ था। इस साक्षी व पी०डब्लू०–1 की साक्ष्य में भी गम्भीर विरोधाभाष है।

30– इस बिन्दु पर साक्षी **पी०डब्लू०–3 मूने** को परीक्षित कराया गया जिसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में कहा है कि, गुड्डू के पिता का नाम अली अहमद है। अली अहमद के घर से मेरे घर की दूरी लगभग 500 मीटर की है। जिस लडकी के साथ गुड्डू की शादी हुई थी उसका नाम मै नहीं जानता। मैं उस लड़की को जानता पहचानता भी नही हूँ। वह लड़की कहाँ की रहने वाली है, उसका घर कहाँ है मैं यह भी नहीं जानता हूँ। मैने उस लड़की के पिता को कभी नहीं देखा और न ह मैं उनका नाम जानता हूँ। गुड्डू की शादी सायरा नाम की लड़की से हुआ था जो उनकी बिरादरी के हैं, गुड्डू और सायरा से चार बच्चे हैं। जो सयाने हैं और अपना काम धंधा कर रहे हैं।

साक्षी ने आगे पृष्ठ ए–74/1 साक्ष्य दिया है कि, मैने सुना है कि गुड्डू ने गैर बिरादरी की लड़की से शादी कर ली है। लेकिन मेरे सामने न तो कोई शादी हुई और न ही मैने देखा। लोगों के बताने पर मैं शादी की बात कह रहा हूँ। इस गैर बिरादरी की लड़की को मैं नहीं जानता। मैनें गुड्डू व गैर बिरादरी की लड़की की शादी संबंधी किसी भी कागज पर न तो कभी दस्तख्त किया औऱ न टाप लगाया। आज अली अहमद स्वंय मुझे गवाहे दिलाने अदालत की नोटिस मिलने पर लेकर आये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैं अली अहमद के कहने से और उनके बताये अनुसार गवाही दे रहा हूँ।

इस साक्षी के समग्र साक्ष्य के विश्लेषण करते है तो पाते है कि, साक्षी स्वयं को मुख्य परीक्षा

में रजिस्टर्ड शादी का गवाह बता रहा है जिसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार आफिस में होना कहा वहीं जिरह में शादी सम्बन्धित किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर या टाप (अंगूठा) लगाने से इंकार किया है तथा वह उस लड़की का नाम पता भी नहीं जानता है, जिससे मृतक गुड्डू की दूसरी शादी हुई। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रपत्र पत्रावली पर साबित नहीं किया है जिससे साबित है कि मृतक आजाद अहमद उर्फ गुड्डू की शादी किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी। कोई अन्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है।

31– इस बिन्दु पर साक्षी **पी०डब्लू०–4 अब्दुल हई** जो मृतक असलम का पिता है के द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन किया है तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में कथन किया है कि, मुल्जिमानन कृपाराम मौर्या, राज कुमार मौर्या व राकेश सिंह कहां के रहने वाले हैं इनका क्या पता है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। इन तीनों के घर मुझे जाने का मौका कभी नहीं मिला। कृपाराम मौर्य थोड़े दिनों के लिए लेखपाल थे इसलिए मैं कृपाराम मौर्य को जानता था। बाकी सब मुल्जिमान से ना मेरी कभी मुलाकात हुई ना कभी बातचीत ही हुई, इसलिए मैं उन्हें जानता पहचानता नहीं हूं। मृतक आजाद उर्फ गुड्डू व असलम की मृत्यु के समय मैं मौके पर नहीं था उनकी मृत्यु कैसे हुई किसने किया यह मैं नहीं जानता हूं। मैंने इधर–उधर से सुना की मुल्जिमान ने मारा होगा। इनकी हत्या की और किसी से मैं नहीं जान पाया और ना ही मुझे किसी का नाम याद है। मैं आजाद उर्फ गुड्डू की शादी नीतू मौर्य के साथ करने नहीं गया था और ना शादी के समय में मौजूद ही था।

साक्षी ने जिरह में पृष्ट अ–76/4 पर कथन किया है कि, मैं कोई कोर्ट मैरिज कराने भी नहीं गया था और ना ही मैं रजिस्ट्री ऑफिस गया था। मैंने इधर–उधर से सुना की गुड्डू उर्फ आजाद व नीतू मौर्य की शादी हुई है और यह भी सुना कि कोर्ट मैरिज दोनों के बीच हुई है। जब आजाद उर्फ गुड्डू के साथ मेरा लड़का घटना वाले दिन अपने घर से गया था। उसकी भी जानकारी मुझे नहीं है।

मैंने दरोगा जी को कोई ऐसा बयान नहीं दिया था कि मुल्जिमान भिन्गा आये और आजाद उर्फ गुड्डू वह मेरे लड़के असलम को साथ लेकर ग्राम गंजवा चले गए। यह बात दरोगा जी ने कैसे लिख लिया वजह मैं नहीं बता सकता। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैं झूठी गवाही दे रहा हूं। मैं यह नहीं बता सकता कि मेरे लड़के असलम व आजाद उर्फ गुड्डू की हत्या कहां किसने कब किया मेरी वह गुड्डू उसे आजाद के रिश्तेदारी है दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। यह कहना सही है कि मैं नहीं बता सकता दोनों की मृत्यु कैसे हो गई

इस साक्षी के समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्थिति उभरकर आती है कि, यह साक्षी मृतक असलम का पिता है, यह साक्षी भी घटना स्थल से करीब 45 किलो मीटर दूर रहता है इसके द्वारा भी कोई घटना कारित होते हुए देखा जाना नहीं कहा है। इस साक्षी के द्वारा कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया है जिससे मामले की कडियाँ आपस में जुड सके। यह साक्षी सुनी–सुनाई बातों पर साक्ष्य दे रहा है।

32– इस बिन्दु पर साक्षी **पी०डब्लू०–5 रामरंगीले विश्वकर्मा** जिसने अभियोजन के मामले का समर्थन न करते हुए एक अलग थ्योरी पर साक्ष्य दिया है कि, घटना दिनांक 04–08–2007 को शाम करीब 8:45 बजे रात की है। शोर सुनकर मैं तथा मेरे भाई गांव के हीरालाल व तमाम लोग

लाठी–डंडा लेकर मौके पर आ गए गांव के कृपाराम मौर्या के घर में दो चोर घुसकर एक अटैची जिसमें तमाम कपड़ा वन नगदी व एक मंगलसूत्र लेकर घर में से कर भाग रहे थे। कृपाराम मौर्या, रामकुमार और कृपाराम की औरत माधुरी व हम सभी गांव वाले लाठी–डंडा लेकर शोर करते हुए उन दोनों चोरों को पीछा किये। वे दोनों चोर ईंटा–पत्थर से हम सभी गांव वालों पर मारते रहे और हम सब गांव वाले अपने बचाव में दोनों चोरों को लाठी–डंडा व ईंटा पत्थर से मारते रहे एक अटैची छीन लिए हम गांव वालों के द्वारा अपने बचाव में जो चोटे चोरों को आंयी उन चोटों से दोनों चोट मर गए। हम गांव वालों ने दोनों चोरों को मार डालने की नीयत से कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, बल्कि अपने बचाव व आत्मरक्षा हेतु लाठी–डंडा व पत्थर से उन दोनों चोरों को चोटे पहुंचाई थी, जिस कारण दोनों चोर मर गए थे। बाद में पता चला की कृपाराम मौर्या लेखपाल थे, जो भिन्गा नौकरी करने जाया करते थे और वे दोनों चोर भी भिन्गा के ही थे।

इस साक्षी ने अपनी जिरह में पृष्ट संख्या–अ–88/2 पर साक्ष्य दिया है कि, हम लोग गाँव वाले उन दोनों चोरों को कृपाराम के घर से आधा–पौन किलोमीटर दौड़ाये और वही जब दोनों चोर गिर पडे तब हम लोग वहाँ से वापस आये। उन चोरो को हम लोग पहचानते नहीं थे। उन चोरों को गाँव वाले अपनी बचत में चोट पहुँचाये थे क्योंकि वे चोर भी ईंटा, पत्थर से हम लोगों को चोट पहुँचाये थे। बाद मे पता चला कि वे दोनों चोर भिन्गा से लूटपाट करने की नीयत से आये थे। उन चोरों से हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं थी और न चोट पहुँचाने का कोई इरादा था। घटना के बारे में दारोगा जी को मैनें बिल्कुल सही–सही बयान दिया था।

उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य के समग्र विश्लेषण करते है तो पाते है कि, यह साक्षी अभियोजन के मामले का समर्थन न करते हुए साक्ष्य दिया है तथा एक नई थ्योंरी पर साक्ष्य देते हुए कहा है कि घटना वाले दिन गुड्डू उर्फ आजाद व असलम को गांव वालो ने चोर समझकर ईंट पत्थर मारकर दौडाकर आधा–पौन किलोमीटर भगाया जाना कहा है। मृतकों की लाश गांव से करीब 1.5 किलो मीटर दूर पुलिया के पास बरामद होना पुलिस प्रपत्रो से साबित है।

32– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक **साक्षी पी०डब्लू०–7 कां० योगेन्द्र राय** जिसके द्वारा वादी मुकदमा अली अहमद द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर एफ०आई०आर० नंबर 90/2007 किता करके मुकदमा अपराध संख्या 378/2007 धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दंड संहिता बनाम कृपाराम आदि पंजीकृत किया था। उसकी कायमी मुकदमा बहावले रपट नंबर 24 समय 12:15 बजे दिनांक 6.8.2007 को तैयार करना तथा चिक एफ०आई०आर०पर प्रदर्श क–3 व कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति पर 4 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष की ओरसे जिरह की गयी जिरह में बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई तथ्य अपने पक्ष में नहीं निकाल पाये है जिससे बचाव पक्ष को बल प्रदान हो।

33– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–8 उपनिरीक्षक सुखराम कैथल** जिसने कथन किया है कि, दिनांक 06–08–2207 को मैं थाना पयागपुर में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत था। उसी तिथि को मुकदमा अपराध संख्या 378A/2007 पंजीकृत हुआ था।

जिसके वादी मुकदमा अली अहमद थे। विवेचक द्वारा मुकदमे में की गई कृत कार्रवाई से अवगत कराते हुए, नक्शा नजरी कागज संख्या–A 6/1 पर प्रदर्श क–5 तथा कागज संख्या– A 6/2 पर प्रदर्श क–6 डाला गया। पत्रावली में संलग्न पंचायत नामा मृतक असलम व मृतक गुड्डू उर्फ आजाद पर प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 डाला गया तथा पत्रावली में संलग्न फोटो नाश, नमूना मोहर, चिट्ठी सीएमओ, चिट्ठी आर०आई०, पुलिस फॉर्म 13, प्रपत्र संख्या 33 कागज संख्या A–08/11, फोटो लाश गुड्डू उर्फ आजाद अहमद, नमूना मोहर कागज संख्या A–08/8, सी०एम०ओ० (चिट्ठी A–08/9), कागज संख्या–A–08/10, प्रपत्र संख्या–33, मृतक गुड्डू संलग्न पत्रावली है जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि यह मेरे द्वारा तैयार किया गया है जिस पर बने लेख व हस्ताक्षर की साक्षी पुष्टि कर प्रदर्श क–9, प्रदर्श क– 10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क– 12, प्रदर्श क–13, प्रदर्श क–14, प्रदर्श क–15, प्रदर्श क–16, प्रदर्श क–17, प्रदर्श क–18, प्रदर्श क–19,प्रदर्श क–20 को साबित किया है।

साक्षी से बचाव पक्ष के द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि, मुकदमा मेरी उपस्थिति में कायम हुआ था। यह मुझे याद नहीं है कि वादी मुकदमा को तहरीर के साथ CO साहब अपनी गाड़ी से थाने लेकर आये। मुझे यह भी नहीं पता हे कि मैनें C.O. साहब के निर्देशन पर मुकदमा वापस किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मैनें विवेचना स्वयं ग्रहण की। यह मुझे पता कि वादी मुकदमा CO साहब के साथ ही चला गया था अथवा नहीं। यह मुकदमा कायम होने के पहले घटना के संबंध में वादी को घर मेरे थाने से कोई सूचना नही भेजी गयी थी। यह मुकदमा कायम होने के पहले मृतकों यानि असलम व आजाद के विरुद्ध धारा– 380 भा०दं०सं० का मुकदमा कायम हुआ था और उसकी तफ्तीश शुरू हो गयी थी। उस मुकदमें की तफ्तीश किस S.I. के द्वारा की जा रही थी मुझे याद नहीं। अभियुक्त कृपाराम ने धारा–380 भा०दं०सं० का मुकदमा कायम कराया गया था। इस मुकदमें में क्या कार्यवाही हुई, मुझे नहीं पता। चूँकि दौरान विवेचना अभियुक्तों की मृत्यु हो गयी, इसलिए उस 380 भा०दं०सं० के मुकदमें मे Closure Report लग गयी होगी।

साक्षी ने जिरह में पृष्ट संख्या–अ–92/1 पर साक्ष्य जिस मुकदमें में आज मैं गवाही दे रहा हूँ वह मुकदमा कायम होकर उसी दिन मैनें विवेचना ग्रहण की और उसी दिन मैनें घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 तैयार किया था। उस समय वादी मुकदमा मेरे साथ था। वादी को मैनें बुलवाया नहीं थी वह स्वयं आया था। असलम की लाश के पास मुझे मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई मिली थी। यह मुझे याद नहीं है कि मैनें उस मोटरसाइकिल की फर्द बनायी थी या नहीं। इस समय मुझे याद नहीं है कि उस मोटरसाइकिल पर कोई नंबर पड़ा था या नहीं, कौन सी कम्पनी की मोटरसाइकिल थी यह भी मुझे याद नहीं।

साक्षी ने जिरह में पृष्ट संख्या–अ–92/2 पर साक्ष्य दिया है कि, इस मुकदमें की विवेचना मे चक्षुदर्शी साक्षी हीरालाल यादव पुत्र श्री बच्चू यादव निवासी– इमलिया गंज का बयान मैनें अंतर्गत धारा– 161 Cr.P.C. अंकित किया था कि " दिनांक– 04.08.2007 को समय लगभग पौने नौ बजे रात का रहा होगा। शोर सुनकर मैं भी अपने घर से दौड़कर आया तो देखा कि हमारे गाँव के कृपाराम

मौर्या के घर से चोर उनके घर का सामान अटैची आदि चुराकर लेकर भागे जा रहे हैं। ... ... चोरों का पीछा गाँव वालों ने किया। गांव वालों ने अपने बचाव में लाठी–डण्डा, ईंटा, पत्थर से प्रहार करते हुए चोरों को दौड़ाकर पकडने की कोशिश कर रहे थे जिससे दोनों चोरों को भी लाठी–डण्डा, ईंटा, पत्थर की चोटें आई थी और चोर घायल हो गये थे" इसी प्रकार का बयान राम रंगीले विश्वकर्मा व राम केवल आदि गवाहान ने दिया था। मैनें पंचायतनामें की कार्यवाही की व फोटोनाश आदि का चित्र बनाकर चोटें दर्शायी। फिर मेरे हस्तान्तरण के बाद विवेचना दूसरे विवेचक को प्राप्त हुई। यह कहना सही है कि मृतक असलम के पास बरामद हुई मोटरसाइकिल के संबंध में क्या कार्यवाही हुई, मुझे नहीं मालूम। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैनें सही विवेचना नहीं की।

इस साक्षी के साक्ष्य का जब हम समग्र साक्ष्य व पत्रावली पर बचाव पक्ष द्वारा दाखिल प्रपत्र सत्य प्रतिलिपि नक्शा नजरी मु०अ०सं०–378/07 बनाम गुड्डू उर्फ आजाद आदि धारा–380 भा०दं०सं० थाना पयागपुर, बहराइच के विश्लेषण से यह स्थिति उभरकर आती है कि, यह साक्षी मामले का प्रथम विवेचक है। जिसके द्वारा मामले की विवेचना करते हुए कृत कार्यवाही के सम्बन्ध मं साक्ष्य दिया है। जिसने पंचातयतनामे की कार्यवाही को साबित किया है। साक्षी ने मामले के नक्शा नजरी में दर्शित खूनालूद व मृतक असलम के शव के पास बरामद मोटरसाइकिल की फर्द न बनाये जाने का साक्ष्य दिया है। फर्द न बनाने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। यह साक्षी मृतको के विरूद्ध थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०सं०–378/07 बनाम गुड्डू उर्फ आजाद आदि में भी विवेचक रहा है जिसके द्वारा उस मामले का नक्शा नजरी बनाया है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि यह साक्षी न्यायालय के समक्ष सही गवाही नहीं दे रहा है।

34– अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षी **पी०डब्ल्यू०–9 शरद चन्द त्रिपाठी** तृतीय विवेचक ने मुख्य परीक्षा में अभियोजन के मामले का समर्थन करते साक्ष्य दिया है। वादी मुकदमा अली अहमद द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 378A/07 धारा 147, 148, 149, 302 भा०दं०सं० थाना पयागपुर बनाम कृपाराम मौर्य आदि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना पूर्व विवेचक सुखराम कैथल (थानाध्यक्ष) के द्वारा शुरु की गई थी। उसके बाद विवेचना S.O. जगमन प्रसाद के द्वारा की गई। उसके बाद विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी। मैनें पूर्व विवेचको द्वारा किये गये पर्चों का अवलोकन कर विवेचना में मामूल हुआ था, और दिनांक 29.01.2008 को सी.ड़ी. का पर्चा 16 किता किया। जिसमें अभियुक्तगणों के यहां दबिश देने का अंकन सी.ड़ी. में किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में प्राप्त N.B.W. का तामीला भी कराया गया था। 06.02.2008 को पर्चा 17 किता किया, जिसमें दबिश का अंकन है। दिनांक 30.03.2008 को सी.डी. का पर्चा 18 किता किया जिसमें अभियुक्त रामकुमार मौर्य के गिरफ्तारी का विवरण अंकित है और बयान भी लिया गया था। दिनांक 02.04.2008 को पर्चा 19 किता किया जिसमें मुल्जिम राजेश सिंह की गिरफ्तारी व उनके बयान का अंकन किया गया। दिनांक 04.04.2008 को सीडी में पर्चा 20 किता किया जिसमें कृपाराम के विरुद्ध 82 प्राप्त कर तामीला का विवरण सीडी में अंकित किया। दिनांक 05.04.2008 को पर्चा 21 किता किया जिसमें कृपाराम की गिरफ्तारी व उनके

बयान का अंकन किया गया। दिनांक 11.04.2008 को पर्चा 22 किता किया जिसमें रिमाण्ड की याचना का अंकन सीड़ी में किया गया। दिनांक 12.04.2008 को पर्चा 23 किता किया जिसमें बयान गवाह पंचायतनामा शिवकुमार, मुख्तियार प्रसाद, जगतराम, राजकुमार, बाबूराम, मूसे, सी.पी. विजय प्रताप सिंह, सी.पी. ओमप्रकाश के बयान का अंकन सीड़ी में किया गया। तमामी विवेचना बयान गवाहान अवलोकन नक्शा नजरी पी.एम. रिपोर्ट अवलोकन पंचायतनामा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कृपाराम, रामकुमार, राजेश सिंह के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 304 भा०दं०सं० का अपराध बाखूबी पाते हुए आरोप पत्र A40 दिनांक 12.04.2008 को न्यायालय को प्रषित किया। आरोपपत्र संलग्न पत्रावली है जिसे देखकर साक्षी ने बताया कि मेरे द्वारा तैयार किया गया और अपने लेख व हस्ताक्षर का साक्षी ने पुष्टि की जिसपर प्रदर्श क–20A डाला गया।

इस साक्षी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिसमें साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि, दिनांक 29.01.2008 को मुझे इस मुकदमे की विवेचना प्राप्त हुई थी। यह विवेचना मुझे मेरे से पूर्व विवेचक का ट्रांसफर हो जाने के कारण प्राप्त हुई थी। विवेचना प्राप्त होने के पश्चात मैनें पूर्व विवेचकों द्वारा काटे गये पर्चों का अवलोकन किया तत्पश्चात अभियुक्तगण के घर तथा संभावित मिलने के स्थानों पर दबिश दी गई, अभियुक्तगण नहीं मिले। उसके पश्चात मैनें अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु NBW की कार्यावाही की तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की। इस मुकदमें से संबंधित मृतकों के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संबंधित लोगों का अभिकथन अंकित किया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोप पत्र दाखिल किया। इसके अलावा मैनें और कोई कार्यवाही इस मुकदमें में नहीं की। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैनें राजनीतिक व उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत आरोपपत्र दाखिल किया है।

इस साक्षी के साक्ष्य का जब हम समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्थिति उभरकर आती है कि, यह साक्षी मामले का अन्तिम विवेचक है जिसने मामले की विवेचना पूर्ण कर आरोप–पत्र अभियुक्तगण कृपाराम मौर्या, राम कुमार व राजेश सिंह के विरुद्ध तथा 2–3 अज्ञात के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया है तथा विवेचना समाप्त कर दी गयी है, कोई विवेचना शेष नहीं है। ऐसे में मात्र अभियुक्तगण के विरूद्ध ही आरोप पत्र आया है, जो संख्या में मात्र 03 है।

35– बचाव पक्ष के द्वारा सफाई साक्ष्य में चार साक्षियों नीतू मौर्या, हीरालाल, जगतराम व नरायन को पेश किया है तथा सूची के माध्यम से नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–378/2007 अनर्गत धारा–380 आई०पी०सी० थाना पयागपुर, नकल नक्शा नजरी मु०अ०सं०–378/2007 अन्तर्गत धारा–380 आई०पी०सी० थाना पयागपुर, नकल मेडिकल रिपोर्ट कृपाराम, माधुरी देवी, राम कुमार मौर्या मु०अ०सं०–378/2007 अन्तर्गत धारा–380 आई०पी०सी० थाना पयागपुर तथा नकल अन्तिम रिपोर्ट मु०अ०सं०–378/2007 अन्तर्गत धारा–380 आई०पी०सी० थाना पयागपुर, दाखिल किया है।

36– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि बचाव पक्ष के साक्षी के साक्ष्य का वहीं महत्व होगा जो की अभियोजन साक्षी के साक्ष्य का होता है जैसा की माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा **दूद्धनाथ पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1981 SC 911** में पैरा 19 नें अवधारित किया गया है–

> "... ... ... .Defence witnesses are entitled to equal treatment with those of the prosecution. And Courts ought to overcome their traditional instinctive disbelief in defence witnesses. Quite often, they tell lies but so do the prosecution witnesses... .."

उपरोक्त सिद्धान्त का अनुसरण माननीय उच्च न्यायालय का डिवीजन बेंच ने प्रेम पाल सिंह एवं अन्य बनाम राज्य, 2017 (1) JIC Reports 104 (Allahabad) के मामले में पैरा 32 में किया है–

> **"32.**... ... ... .It is necessary to point out that as for as Courts are concerned, witnesses of both sides, prosecution and defence, sail in the same boat. Both have to appraised on the touchstone of credibility and truthfulness. Courts cannot say that she will not trust some witnesses merely because they hae been produced by defence. Testimony of defence witnesses has to be evaluated in same manner as that of prosecution. Some yardstick has to be applied... .."

37– यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्वयं साबित करना चाहिए तथा साक्ष्य को श्रृंखलाबद्ध करते हुए सम्पूर्ण साक्ष्य के ऑकलन के आधार पर सुदृढ साक्ष्य से साबित करना चाहिए, मात्र सम्भावना (May be) के आधार पर साबित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे आवश्यक रूप से स्पष्टतः साबित किया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वसिक हैदर व अन्य (दाण्डिक अपील स० 1702–1706/2014 – निणर्य दिनांक– 10.12.2018)** में पैरा 22 में अवधारित किया हैं कि –

> " 22. In the instant appeals before us, the prosecution has failed to link the chain of circumstances so as to dispel the cloud of doubt about the culpability of the accused –respondents. It is a well settled principle that a suspicion, however grave it may be cannot take place of proof, i.e., there is a long distance between "may be" and "must be", which must be traversed by the prosecution to prove its case beyond reasonable doubt [See Narendra Singh v. State of M.P., (2004)10 SCC 699].

38– बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई साक्ष्य में चार साक्षियों को पेश किया गया है। **साक्षी डी०डब्लू०–1 नीतू मौर्य** मामले की मुख्य साक्षी है जिसे अभियोजन द्वारा न तो पेश किया गया न ही विवेचक द्वारा मामले में आरोप पत्र में साक्षी बनाया है। इस साक्षी ने उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि, मेरी शादी को दस वर्ष हो गये। मेरे पिताजी भिन्गा में लेखपाल थे। इसलिए मैं माताजी के साथ कभी–कभी भिन्गा जाया करती थी। आजाद अहमद उर्फ गुड्डू निवासी भिन्गा मेरे पिताजी के पास कभी–कभी आते–जाते थे। आजाद अहमद उर्फ गुड्डू से मेरा कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। और न तो मेरा उनके साथ कोई विवाह हुआ और न तो मैनें उनकी

बहैसियत पत्नी कोई लिखापढी अदालत में या अदालत के बाहर करायी। यदि उन्होनें कोई इस तरह की फर्जी कार्यवाही की हो तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना वाले दिन मैं अपने पिताजी के घर छत पर सो रही थी। काफी अंधेरा था। रात में आजाद अहमद उर्फ गुड्डू व उनका साथी असलम मेरे घर पर आये और कपड़े और जेवर की अटैची लेकर भागे। मेरी माताजी व पिताजी ने उन्हें रोकने व पकड़ने की कोशिश की तो मेरे उन लोगों ने मेरे मां–बाप को काफी मारा–पीटा और अटैची लेकर भागे। शोर पर गाँव वाले इकट्ठा हो गये और उन लोगो ने मुल्जिमान को खदेड़ा और ईंटा–पत्थर फेंक कर मारा–पीटा। बाद में पता चला कि गाँव से काफी दूरी पर आजाद अहमद उर्फ गुड्डू व असलम की भागते समय मृत्यु हो गई। आजाद उर्फ गुड्डू के घर वालो ने मेरे पिता, चाचा आदि के खिलाफ गलत मुकदमा लिखा दिया। मेरे पिता, चाचा व ड्राइवर निर्दोष हैं।

इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह की गयी जिसमें इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, अभियुक्त कृपाराम मेरे पिता हैं। घटना के समय मैं करीब 15 साल की थी। फिर कहा कि 15 साल से भी कम रही होगी। अभियुक्त रामकुमार मेरे सगे चाचा है व राजेश मेरे गाँव के हैं। आज मैं अपने पिताजी के घर से बायन देने आयी हूँ। घटना के समय मेरे पिताजी लेखपाल थे। वे भिन्गा में ही कमरा लेकर रहते थे। मेरे माताजी का कभी–कभार भिन्गा आना–जाना रहता था। मैं भी उनके साथ भिन्गा जाती थी। असलम औऱ गुड्डू भिन्गा के निवासी थे। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे भिन्गा में जहाँ रहते थे वहीं आस–पास गुड्डू और असलम भी रहते थे। मैं नहीं जानती कि गुड्डू उर्फ आजाद व असलम किस मोहल्ले के रहने वाले थे। चूँकि मेरे पापा लेखपाल थे इसलिए कई लोग मिलने–जुलने आते–जाते थे। इनमें असलम व आजाद उर्फ गुड्डू भी कभी–कभी आते– जाते थे। मेरे कोई बातचीत इन लोगों से नहीं होती थी। मेरा गुड्डू उर्फ आजाद व असलम के साथ कहीं आना–जाना नहीं हुआ था।

साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैं अपने चाचा, पिताजी व गाँव के राजेश को बचाने के लिए सही बता नही बता रही हूँ। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि, आजाद अहमद उर्फ गुड्डू से मेरी कोई प्रेम– मोहब्बत थी। घटना के समय मैं छत पर लेटी थी। समय करीब रात का 09–10 बजा था। काफी अँधेरा था। मैं छत पर सो रही थी। शोर होने पर मै नीचे आयी तब तक असलम, गुड्डू उर्फ आजाद अटैची कपड़े–जेवर लेकर भाग रहे थे। गाँव वाले इन लोगों को खदेड़ते हुए ईंट, पत्थर मार रहे थे। मेरे पिता जी ने इस संबंध में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। यह नही बता पाऊँगी कि घटना के कितने दिन बाद इन लोगों की मृत्यु हुई।

इस साक्षी के समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि, यह साक्षी घटना के समय 15 वर्ष की थी। घर में चोर आ जाने पर वह छत से नीचे आयी और चोरों को भागते देखा जिन्हे गाँव वाले ईंट, पत्थर आदि से खदेड़ रहे थे। चोरी की रिपोर्ट उसके पिता ने मृतकों के विरुद्ध लिखायी थी। यह स्वाभाविक है कि, यदि किसी महिला के पति को जिससे वह बहुत अधिक प्रेम करती हो और धर्म परिवर्तन करके विवाह किया हो उसके साथ कोई घटना घटे तो वह मामले में कार्यवाही हेतु अवश्य सामने आयेगी। परन्तु इस साक्षी का न तो विवेचक ने बयान लिया और नही

गवाहो की सूची में उसका नाम रखा।

39– बचाव पक्ष का दूसरा साक्षी **डी०डब्लू०–02 हीरालाल** को प्रस्तुत किया गया, जो आरोप–पत्र में गवाह है जिसे अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया है। जिसका नाम आरोप–पत्र में क्रम सं–7 पर अंकित है। जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि, घटना को हुए लगभग 18 साल हो रहा है। घटना दिनांक–04.08.2007 की है, समय 09–10 बजे रात का था। इस मुकदमें के अभियुक्त कृपाराम मौर्य का घर और मेरा घर आस–पास है। कृपाराम घटना वाली रात में अपने घर से चिल्ला रहे थे उस समय मैं अपने घर पर खा–पीकर लेटा हुआ था। कृपाराम के शोर पर मैं उनके घर की तरफ जा रहा था कि गाँव के तमाम लोग इकट्ठा होकर उनके घर से निकले दो चोरों को खदेड़ रहे थे। मैं भी उस भीड़ में चोरों के पकड़ने का प्रयास करने लगा। एक चोर के हाथ में अटैची थई जिसे उसने कृपाराम के घर से चुराया था। गाँव से थोड़ी दूर जाने पर चोरों से अटैची छीन ली गयी। गाँव वालों ने चोरों को पकड़ने के लिए ईंटा–पत्थर फेंक कर मारा। चोर भी सड़क से ईंटा–पत्थर लेकर गांव वालों को मार रहे थे तथा धमकी दे रहे थे। गाँव के काफी बाहर तक चोरों को गांव वाले खदेड़ते चले आये। मुल्जिमान भाग गये। चोरों ने कृपाराम के घर में चोरी करते समय कृपाराम व उनकी पत्नी व उनके भाई रामकुमार को मारा–पीटा था जिससे उन लोगों को चोटें आयी थी। बाद में पता चला कि दोनों चोर भिन्गा के आजाद अहमद उर्फ गुड्डू व असलम नाम के व्यक्ति थे जिनकी आगे चलकर मृत्यु हो गयी।

इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह की गयी जिसमें इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, कृपाराम मौर्या मेरे गांव के पड़ोसी है। गाँव के रहने के नाते मिलने पर हाल–चाल होता है। घटना 09–10 बजे रात की है। हम घर पर खाना खा पी रहे थे। सब लोग जा रहे थे। शोर सुनकर मैं गया था तो कुछ लोगों को भागते हुए देखा था जिसे गांव वाले खदेड़ रहे थे। चोरी का सामान अटैची लेकर भाग रहे थे। किस रंग की अटैची थी, रात होने के नाते नहीं दिखा। बाद में पता चला चोर भिन्गा के थे। चोरी की सूचना थाने पर कृपाराम ने दिया था। बाद में क्या कार्यवाही हुई, मुझे जानकारी नहीं है। आज जो मैनें बयान दिया है यह बात मैनें दारोगाजी को बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, अभियुक्तगण मेरे पड़ोसी हैं इसलिए उसको बचाने के लिए मैं झूठा बयान दे रहा हूँ।

40– बचाव पक्ष का तीसरा साक्षी **डी०डब्लू०–03 जगतराम** को प्रस्तुत किया गया। यह साक्षी भी आरोप–पत्र का गवाह है, जिसका नाम आरोप–पत्र में गवाह की सूची में 12 वें स्थान पर है। जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि, घटना दिनांक 04–08–2007 की समय लगभग 9–10 बजे रात की है इस मुकदमे के मुल्जिमान कृपाराम मौर्य व रामकुमार मौर्य के मकान से पश्चिम तरफ तीन घर छोड़कर मेरा मकान है। घटना वाली रात में अभियुक्त कृपाराम मौर्य अपने घर से चिल्ला रहे थे मैं उस समय अपने घर के बाहर खाना खा पी कर बैठा था, चिल्लाने की आवाज पर मैं कृपा राम मौर्य के घर की तरफ जा रहा था तभी गांव के तमाम लोग इकट्ठा होकर कृपा राम मौर्य के घर से निकले दो चोरों को खदेड़ रहे थे, मैं भी इस भीड़ में चोरों को

पकड़ने का प्रयास करने लगा उन चोरों में से एक चोर के हाथ में कृपाराम मौर्य के घर से चुराई हुई एक अटैची थी इस गांव से थोड़ी दूर जाने पर चोरों से गांव वालों द्वारा छीन लिया गया था गांव की भीड़ में मुल्जिमान को पकड़ने के लिए ईटा पत्थर फेंक कर मारा था। उक्त दोनों चोट भी सड़क से ईंटा पत्थर लेकर गांव वालों को मार रहे थे तथा धमकी दे रहे थे। गांव वाले लोग गांव की काफी बाहर तक चोरों को खदेडते हुए चले गए। चोर भाग गए थे उक्त दोनों चोरों ने कृपाराम मौर्य के घर चोरी करते समय कृपाराम मौर्य व उनकी पत्नी व उनके भाई रामकुमार मौर्य को मारा पीटा था जिससे उन्हें चोट लगी थी। बाद में पता चला कि उक्त दोनों चोर भिन्गा के असलम व आजाद अहमद उर्फ गुड्डू नाम के व्यक्ति थे जिनकी गांव के बाहर मृत्यु हो गई थी।

इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह की गयी जिसमें इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, कृपाराम मौर्य एक अन्य मुल्जिमान मेरे गांव के रहने वाले हैं। घटना के समय मैं अपने घर पर खा–पीकर बरामदे में बैठा था और हमारे घर के सभी लोग जग रहे थे। शोर सुनकर मैं और मेरे परिवार के लोग मौके पर गए तो देखा कि कुछ लोग भाग रहे थे और उन लोगों के गांव के कुछ लोग खदेड़ रहे थे। भागने वाले लोग अपने हाथ में अटैची और चोरी का सामान लिए थे। रात होने के नाते मैं चोरों को पहचान नहीं पाया था। बाद में पता चला कि वह बाहरी चोर थे, भिन्गा से आए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मुल्जिमान मेरे गांव के हैं मिलने वाले हैं संबंध अच्छे हैं इसलिए उनको बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रहा हूं।

41– बचाव पक्ष ने साक्षी **डी०डब्लू०–04 नरायन** को प्रस्तुत किया जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया है कि, घटना दिनांक 04–08–2007 की है, समय रात्रि लगभग 9–10 बजे के बीच की है। मेरा घर मुल्जिमान के कृपाराम मौर्य और रामकुमार के घर के पश्चिम चार–पांच घर की दूरी पर है। घटना वाले दिन में अपने घर पर था। घटना वाली रात में अभियुक्त कृपाराम के चिल्लाने की आवाज पर मैं उनके घर की तरफ जाने के लिए निकला तभी गांव के तमाम लोग उनके घर की तरफ दौड़े मैंने देखा कि दो चोर कृपाराम मौर्य के घर से एक अटैची लेकर भाग रहे थे गांव वालों ने खदेड़कर अटैची उनसे छीन ली तथा गांव वालों ने उन दोनों चोरों को खदेड़ते हुए ईंटा पत्थर उन चोरों पर चला रहे थे तथा उक्त दोनों चोर भी सड़क से ईंटा पत्थर उठाकर गांव वालों की भीड़ पर फेंक रहे थे। गांव के लोगों की भीड़ ने उन चोरों को खदेड़ते होते हुए गांव के बाहर तक चले गए बाद में पता चला कि उक्त दोनों चोर भिन्गा के असलम व आजाद अहमद उर्फ गुड्डू थे उनकी मृत्यु गांव के बाहर हो गई थी। उक्त दोनों चोरों ने कृपाराम मौर्य के घर में चोरी करते समय रोकने पर कृपा राम मौर्य व उनकी पत्नी तथा उनके भाई रामकुमार मौर्य को मारा पीटा था जिससे उनको चोटे आई थी। मुल्जिमान ने उक्त दोनों चोरों को मारा पीटा नहीं था।

इस साक्षी से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जिरह की गयी जिसमें इस साक्षी द्वारा कथन किया गया कि, मुल्जिमान मेरे गांव के रहने वाले हैं। घटना के समय रात्रि 9:00 बजे के करीब मैं घर पर था हम सभी लोग परिवार सहित भोजन करके बैठे थे अचानक

शोर सुनाई दिया तो मैं परिवार सहित मौके पर गया। गांव के कुछ और लोग भी आ गए थे देखा कि कुछ लोग भाग रहे हैं और गांव के लोगों ने खदेड़ रहे थे। भागने वाले लोग अपने हाथ में चोरी का सामान जैसे अटैची बक्सा लिए हुए थे। रात होने के वजह से मैं किसी को पहचान नहीं पाया बाद में पता चला कि चोर लोग भिन्गा से आए थे। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि, मैं मुल्जिमान से मिल गया हूं और उनको बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रहा हूं।

उपरोक्त साक्षियों के समग्र साक्ष्य के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि, ये साक्षी घटनास्थल पर मौजूद थे तथा शोर पर कृपाराम के घर पर पहुंचे तो दो चोरों को भागते हुए देखा जिन्हे गांव वाले ईंटा, पत्थर से खदेड़ रहे थे। चोर के ईंट पत्थर मार रहे थे। इसी तरह का बयान अभियोजन के साक्षी पी०डब्लू०–5 राम रंगीले द्वारा दिया गया तथा साक्षी पी०डब्लू०–8 द्वारा अपने साक्ष्य में चक्षुदर्शी साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को भी साबित किया है जिनके द्वारा भी दो चोरों को भागते हुए देखा जिन्हे गांव वाले ईंटा, पत्थर से खदेड़ रहे थे तथा इसी खदेडे जाने से वह घायल हो गये।

42– बचाव पक्ष का तर्क है कि मामला शक के आधार पर लिखाया गया है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नवीनतम विधि व्यावस्था **उडीसा राज्य बनाम बनबिहारी मोहपात्रा एवं अन्य AIR 2021 SUPREME COURT 1375** के पैरा 38 में उपरोक्त सिद्धान्त को पुनः दोहराया है।

> "38. It is well settled by a plethora of judicial pronouncement of this Court that suspicion, however strong cannot take the place of proof. An accused ipresumed to be innocent unless proved guilty beyond reasonable doubt. This proposition has been reiterated in Sujit Biswas vs. State of Assam reported in AIR 2013 SC 3817."

43– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Maria Margadia Sequeria Fernandes & Ors vs Erasmo Jack De Sequeria (D) Tr. Lrs.& Ors (decided on 21 March, 2012), AIR 2012 SC 1727 के पैरा 52** में अवधारित किया हैं कि–

> "52. Truth is the foundation of justice. It must be the endeavour of all the judicial officers and judges to ascertain truth in every matter and no stone should be left unturned in achieving this object. Courts must give greater emphasis on the veracity of pleadings and documents in order to ascertain the truth."

उपरोक्त विधि व्यावस्था के अनुसार– सत्य ही न्याय का आधार है। संपूर्ण न्याय व्यवस्था वास्तविक सत्य को परखने और उसका पता लगाने के लिए ही बनाई गई है। सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को सत्य की खोज की यात्रा में गंभीरता से सम्मलित होना होगा। यह उनका अधिकार, दायित्व और परम कर्तव्य है। न्याय प्रणाली तभी विश्वसनीयता हासिल करेगी जब लोगों को यह

विश्वास हो जाएगा कि न्याय सत्य की नींव पर आधारित है।

44– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम जागिर सिंह एवं अन्य में** AIR 1973 **SC 2406** में अवधारित किया है कि आपराधिक विचारण परियों की कहानी नहीं है कि कोई उसमें अपनी रचनात्मक कल्पना बनाये और उसके आधार पर अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये, अपराध वास्तविक जीवन में घटित एक घटना है और विभिन्न मानवीय भावनाओं के अन्तर्तसम्बन्ध का परिणाम है। किसी अपराध के आरोपी के अपराध के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन संभावनाओं, उसके आंतरिक मूल्य और गवाहों की शत्रुता के आधार पर करना होता है। अंतिम विश्लेषण में प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों पर निर्भर रहना होगा। यद्यपि अभियुक्त को प्रत्येक उचित संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, न्यायालयों को ऐसे साक्ष्य को, जो प्रत्यक्षतः विश्वसनीय प्रतीत होता है, काल्पनिक या अनुमान के आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नतः अवधारित किया गया है किः–

> "A criminal trial is not like a fairy tale wherein one in free to give flight to one's imagination and phantasm. It concerns itself with the question as to whether the accused arraigned at the trial is guilty of the crime with which he is charged. Crime is an event in real life and is the product of interplay of different human emotions. In arriving at the conclusion about the guilt of the accused charged with the commission of a crime, the court has to judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witnesses. Every case in the final analysis would have to depend upon' its own facts. Although the benefit of every reasonable doubt should be given to the accused, the courts should not at the same time reject evidence which is ex facie trustworthy on grounds which are fanciful or in the nature of conjectures."

45– पत्रावली पर आयी उपरोक्त साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्यों को जब हम एक सूत्र में पिरोकर देखते है तो यह स्थिति उभरकर आती है कि, वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 अहमद अली की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसमें पी०डब्लू०–1 ने अपनी पुत्र की शादी अभियुक्त कृपाराम की पुत्री नीतू से होना दिनांक–22.06.2004 को मुस्लिम रीति व कोर्ट मैरिज से होना कहा है तथा घटना के 20–22 दिन पहले नीतू का उसकी माता कृपाराम मौर्या (अभियुक्त) की पत्नी बिदा कराकर ले गयी। यह साक्षी पी०डब्लू०–1 अपनी मुख्य परीक्षा में घटना से एक दिन पहले यानी दिनांक–03.08.2007 को अभियुक्त कृपाराम की पत्नी व उसके पुत्र के द्वारा गुड़िया का पर्व होने के नाते बिदा कराकर ले जाना कहा है तथी उसी दिन नीतू का फोन आना कहा है जबकि अभियोजन द्वारा कोई फोन का सी०डी०आर० प्रस्तुत नहीं की है जोकि इस तथ्य को साबित कर सकता की कोई फोन आया था। वहीं घटना के दो दिन बाद श्री उमेश कुमार पाण्डेय, एडवोकेट की विधिक सलाह पर रिपोर्ट दर्ज कराने को पी०डब्लू०–1 ने अपने बयानों में साबित किया है तथा मुख्य परीक्षा में

शक के आधार पर मुकदमा लिखाना कहा है। यह साक्षी अभियुक्त कृपाराम मौर्य के घर एक बार मात्र 22 वर्ष पहले अपने पुत्र गुड्डू उर्फ आजाद के साथ रिस्ते के संबन्ध में जाना कहा है। उक्त साक्षी का बयान वर्ष 2021 में अंकित किया गया। अर्थात साक्षी वर्ष 1999 में गया होगा, वहीं डी०डब्लू०–1 नीतू ने अफने साक्ष्य में घटना के समय स्वयं को 15 वर्ष से कम होना कहा है अर्थात वर्ष 1999 में नीतू करीब 09 वर्ष की रही होगी तो ऐसे शादी के रिश्ते के सम्बन्ध में जाना स्वाभाविक प्रतीत नहीं हो रहा है। साक्षी पी०डब्लू०–2 ने मृतक गुड्डू उर्फ आजाद व नीतू की शादी वर्ष 2007 में दिनांक–17.08.2007 को होना कहा है तथा वादी मुकदमा के द्वारा दाखिल सूची से छायाप्रति उर्दू लेख, छायाप्रति विवाह अनुबन्ध तथा छायाप्रति भरण–पोषण हेतु कार्यवाही को साबित नहीं किया है। इस सम्बन्ध में साक्षी पी०डब्लू०–3 मूने ने ऐसी किसी भी दस्तावेज पर अपना अंगूठा या हस्ताक्षर से इंकार किया है। पी०डब्लू–2 व पी०डब्लू–3 के बयानों में कोर्ट मैरिज का पंजीकृत होना कहा है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज शादी के पंजीकृत के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया है। पी०डब्लू०–2 द्वारा अभियुक्तगण को मृतकों को अपने साथ ले जाने से इंकार किया है तथा पी०डब्लू०–4 ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन न करते हुए अभियोजन के द्वारा मृतकों को अपने साथ ले जाते हुए नहीं देखा। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–1, पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–4 सुनी सुनाई बातों पर साक्ष्य दे रहें हैं।

साक्षी पी०डब्लू०–5 ने अभियोजन के मामले से बिल्कुल अलग मामला रखते हुए साक्ष्य दिया है जिसमें मृतकों द्वारा अभियुक्त कृपाराम के घर से चोरी, घर से भागते हुए देखा जाना तथा गाँव वालों द्वारा उन्हे गांव से खदेड़ना तथा मृतकों के द्वारा ईंटा पत्थर मारने पर अपने बचाव में ईंटा पत्थर मृतको पर फैंककर गाँव से भागने का साक्ष्य दिया है। इसी प्रकार का साक्ष्य डी०डब्लू०–2 हीरालाल व डी०डब्लू०–3 जगतराम ने दिया है। उक्त दोनों साक्षी आरोप–पत्र की गवाह की सूची में क्रमशः 7 व 12 वें स्थान पर उनका नाम अंकित है जिन्हे बचाव पक्ष ने पेश किया है। डी०डब्लू०–1 के द्वारा अपने बयानों में उसकी शादी मृतक गुड्डू उर्फ आजाद से होने से इंकार किया है तथा कोई प्रेम प्रसंग होने से भी स्पष्टताः इंकार किया है यह घटना के समय मात्र 15 वर्ष की थी।

साक्षी पी०डब्लू०–6 द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अपने साक्ष्य से साबित किया है कि उक्त चोटें जो मृतको के शरीर पर मृत्युपूर्व की थी, वें ईंटा व पत्थर से आ सकती है। गवाहों के पी०डब्लू०–5, डी०डब्लू–2, डी०डब्लू०–3 व डी०डब्लू०–4 के बयानों में भी ईंट, पत्थर से मारा जाना साबित किया है। जिससे एक दूसरे का समपोषण हो रहा है। साक्षी पी०डब्लू०–7 ने चिक एफ०आई०आर० व जी०डी० कायमी का साबित हुआ है। वहीं साक्षी पी०डब्लू०–8 मामले का प्रथम विवेचक ने मामले की प्रारम्भिक कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रपत्रों को साबित किया है। उक्त साक्षी ने घटनास्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 को साबित किया है जोकि एक कंकरीट की सड़क गंजवा से इमलियागंज को जाती है, पर पश्चिम की तरफ मृतको की लाश पुलिया के पास मिलना साबित किया।

पी०डब्लू०–5 के बयानों में पुलिया अभियुक्त कृपाराम के घर से करीब 1.5–2 किलोमीटर

दूर होने का साक्ष्य दिया है। विवेचक द्वारा कोई खून अलूदा मिट्टी व उसकी एफ०एस०एल० रिपोर्ट पेश नहीं की है। कोई चाकू, डंडा या ईंटा, पत्थर आलाकत्ल के सम्बन्ध में भी पेश नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सकता की हत्या किसी से की गयी है। मामले में साक्षी पी०डब्लू०–9 द्वारा अन्तिम विवेचना कर आरोप पत्र प्रदर्श क–20ए दाखिल किया है जिसमें अभियुक्तगण के अलावा 2–3 अन्य अज्ञात व्यक्ति लिखा है जबकि विवेचना समाप्त कर दी गयी है। ऐसे में तीन अभियुक्तगण को ही अभियुक्त बनाया। घटनास्थल पर प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 में खून Ⓑ से पड़ा होना कहा है, पर खून आलूद व सादी मिट्टी की फर्द नहीं बनायी गयी, साथ ही स्थल पर पड़ी मोटरसाइकिल जिसे चिन्ह ~~(A)~~ से दर्शित किया है, की भी फर्द नहीं बनायी थी।

यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि विवेचना की कमी का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता है परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है अभियोजन को अपने मामले को संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में अभियोजन अपने साक्ष्य से मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

46– अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में आरोपित अभियुक्तगण को सत्र परीक्षण संख्या–198/2018 (मुकदमा अपराध संख्या 378A/2007), अपराध धारा–147, 148, 304/149 भा०दं०सं०, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण कृपाराम मौर्य, रामकुमार मौर्य तथा राजेश सिंह को सत्र परीक्षण संख्या–198/2018 (मुकदमा अपराध संख्या 378A/2007), में अपराध धारा– 147, 148, 304/149 भा०दं०सं० थाना पयागपुर, जनपद बहराइच के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं, प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्तगण धारा–481 B.N.S.S (धारा–437A दं०प्र०सं०) के अनुपालन में दो–दो प्रतिभू अंकन 25,000/– रुपये व इसी धनराशि का बंधपत्र अन्दर सात दिन दाखिल करें।

दिनांकः–28–03–2026

(पवन कुमार शर्मा ॥)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–28–03–2026

(पवन कुमार शर्मा ॥)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।